

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा

2021-22



एमजेएसजे कोल लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की अनुषंगी)

(सीआईएन-U10200OR2008GOI010250)

पंजीकृत कार्यालय : बलंडा ट्राजिटकैम्प, प्रथम तल, पोस्ट- बलंडा,

साउथ बलंडा, तालचर, अंगुल, ओड़िशा - 759116

विषय सूची

<u>क्रमांक</u>	<u>पृष्ठ सं.</u>
1. कम्पनी सूचना	01
2. सूचना	02-04
3. निदेशक प्रतिवेदन	05-12
4. सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	13-23
5. नियंत्रक और की टिप्पणियाँ भारत के महालेखा परीक्षक	24
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	25-29
7. वर्ष 2021-22 . के लिए वित्तीय विवरण	30-100

कम्पनी की सूचना

निदेशक मंडल

- 1 श्री के. आर. वासुदेवन(डीआईएन:07915732) अध्यक्ष (प्रभावी कार्य दिवस 06.12.2021)
- 2 श्री एस.के.पाल (डीआईएन:09034709) निदेशक (प्रभावी कार्य दिवस 16.01.2022)
- 3 श्री दिपांकर पंडा (डीआईएन:06833507), निदेशक (प्रभावी कार्य दिवस 22.07.2021)
- 4 श्री एस.एस. उपाध्याय (डीआईएन:07314313) निदेशक (प्रभावी कार्य दिवस 29.07.2016)
- 5 श्री चन्द्रा प्रकाश टटेड (डीआईएन:08364541) निदेशक (प्रभावी कार्य दिवस 17.06.2019)
- 6 श्री सूभाजीत सरकार (डीआईएन:09286970) निदेशक (प्रभावी कार्य दिवस 22.07.2021)
- 7 श्री अनुपम श्रीवास्तव (डीआईएन:09502251) निदेशक (प्रभावी कार्य दिवस 16.01.2022)
- 8 श्री राजीवा बसंत रिगे (डीआईएन:09507096) निदेशक (प्रभावी कार्य दिवस 16.01.2022)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री राजीवा बसंत रिगे

मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री एम.आर. मिश्रा

कम्पनी सचिव

श्री एस.परिडा

सांविधिक लेखापरीक्षक

राजेश सराफ एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट,

अंगुल, उड़ीसा

सचिवीय लेखा परीक्षक:

मेसर्स बिस्वरंजन जेना एंड कंपनी,

प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी

भुवनेश्वर, उड़ीसा

बैंकर्स:

भारतीय स्टेट बैंक, तालचेर

एक्सिस बैंक, तालचेर

सूचना

14वीं वार्षिक सामान्य बैठक

सूचना दी जाती है कि एमजेएसजे कोल लिमिटेड के सदस्यों की 14वीं वार्षिक सामान्य बैठक बुधवार, 20 जुलाई, 2022 को शाम 5.45 बजे एमसीएल मुख्यालय, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओडिशा-768020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। / अन्य दृश्य-श्रव्य साधन (ओएवीएम) निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए:

सामान्य कार्य:-

1. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करना और अपनाना, जिसमें 31 मार्च, 2022 को लेखा परीक्षा तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और की रिपोर्ट शामिल है। निदेशक मंडल, सांविधिक लेखा परीक्षक और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यदि भारत उस पर।

2 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पठित धारा 139 (5) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने हेतु तथा सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना है।

"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम - 2013 की धारा 142 के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल को धारा 139(5) के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को तय करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते एमजेएसजे कोल लिमिटेड

ह/-

(एस . परिडा)

कंपनी सचिव

नोट:-

1. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली के नियम 18 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार देश में प्रचलित कोविड-19 महामारी के कारण वर्तमान असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए, 2014 और सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022, दिनांक 5 मई, 2022 के साथ; सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, दिनांक 8 अप्रैल, 2020; कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, सरकार द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और 13 जनवरी 2021 क्रमशः। भारत के (किसी भी वैधानिक संशोधन या उस समय लागू होने वाले पुनः अधिनियमन सहित) और अन्य लागू कानून और विनियम, एमजेएसजे कोल लिमिटेड के सचिवीय लेखा परीक्षक सहित शेयरधारक, निदेशक और लेखा परीक्षक बैठक में भाग लेने और/या मतदान करने के हकदार हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से बैठक में भाग लेने और / या वोट देने के लिए cs.mcl@coalindia को ई-मेल भेजकर बैठक में विचार की गई वस्तुओं पर केवल ऐसे स्तर पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए। सदस्यों द्वारा परदे के पीछे की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधियों को वीसी या ओएवीएम के माध्यम से भागीदारी और मतदान के लिए नियुक्त किया जा सकता है। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए, कंपनियों की अधिकृत मेल आईडी से अग्रिम रूप से लिंक प्रदान किया जाएगा और बैठक में शामिल होने की सुविधा कम से कम खुली रखी जाएगी।

बैठक शुरू होने के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और ऐसे निर्धारित समय के 15 मिनट बाद बंद नहीं किया जाएगा।

2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के प्रावधानों के अनुसरण में कम समय के नोटिस पर वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार, विशेष व्यवसाय के संबंध में, जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है, प्रासंगिक विवरण भी इसके साथ संलग्न है।

4. अन्य अनिवार्य रजिस्ट्रारों/दस्तावेजों के साथ नोटिस और उसके अनुलग्नक में संदर्भित सभी दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 14वीं वार्षिक आम बैठक की तारीख से पहले सभी कार्य दिवसों में व्यावसायिक घंटों के दौरान निरीक्षण के लिए खुले हैं।

5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 171(1)(बी) और 189(4) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में निरीक्षण के लिए खुले रखने के लिए आवश्यक रजिस्टर, बैठक में शामिल होने का अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बैठक की निरंतरता के दौरान पहुंच योग्य होगा।

सदस्यगण :-

- 1) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर – 768020.
(उपस्थित : कंपनी सचिव, एमसीएल संबलपुर)
- 2) जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, जिंदल मेशन, 5 A, डॉ. जी.देशमुख मार्ग, मुम्बई- 400026.
(उपस्थित : कंपनी सचिव, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, मुम्बई)
- 3) जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, जिंदल मेशन, 5 A, डॉ. जी.देशमुख मार्ग, मुम्बई- 400026.
(उपस्थित : कंपनी सचिव, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, मुम्बई)
- 4) जेएसएल लिमिटेड, जिंदल केन्द्र, 12, भीकाजी कामा प्लेश नई दिल्ली-110066
(उपस्थित : कंपनी सचिव जेएसएल लिमिटेड, नई दिल्ली)
- 5) श्याम मेटेलिक एंड एनर्जी लिमिटेड, ट्रिनिटी टावर, 7वां तल, 83 तोपसिया रोड
कोलकाता-700046 (उपस्थित : कंपनी सचिव श्याम मेटेलिक और एनर्जी लिमिटेड, कोलकाता)

लेखा परीक्षण :-

- 1 मेसर्स राजेश सराफ एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, अंगुल, ओडिशा
- 2 महानिदेशक, महानिदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य कार्यालय,
लेखापरीक्षक बोर्ड -II ओल्ड निजाम पेलेस, 234/4 आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता-700020

सभी निदेशकगण, एमजेएसजे कोल लिमिटेड

निदेशकों के प्रतिवेदन

प्रिय,
शेयरधारक
एमजेएसजे कोल लिमिटेड,

सज्जनों,

मुझे एमजेएसजे कोल लिमिटेड की 14 वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करते हुए अपार खुशी हो रही है। मैं मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों, वैधानिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ आपकी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

उत्कल-ए और गोपालप्रसाद वेस्ट कोल ब्लॉक (15mt) को संयुक्त रूप से महानदी कोलफील्ड लिमिटेड (MCL), JSW स्टील लिमिटेड, JSW एनर्जी लिमिटेड, JSL स्टेनलेस लिमिटेड और श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड को 60:11:11:09 के अनुपात में आवंटित किया गया था। : 09 क्रमशः कोयला मंत्रालय के पत्र दिनांक 10 नवंबर, 2005 द्वारा।

आवंटन पत्र की शर्तों के अनुसार, कोल ब्लॉक एंड माइनिंग के विकास के उद्देश्य से एक संयुक्त उद्यम कंपनी, एमजेएसजे कोल लिमिटेड को शामिल किया गया था। संयुक्त उद्यम के गठन को कोयला मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था। जेवीसी में, निदेशकों को एमसीएल, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड (एमसीएल), जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, जेएसएल स्टेनलेस लिमिटेड और श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड और कोयला मंत्रालय द्वारा नामित किया गया था।

कंपनी ने समय-समय पर रुपये की राशि जुटाई है। अपने शेयरधारकों से 60:11:11:09:09 के अनुपात में इक्विटी की ओर से 95.10 करोड़ निम्नानुसार है:

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड - 57.06 करोड़

जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड - 10.461 करोड़

जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड - 10.461 करोड़

जेएसएल स्टेनलेस लिमिटेड - 8.559 करोड़

श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड- 8.559 करोड़

अपने निगमन के बाद से कंपनी ने भूमि अधिग्रहण, डीजीपीएस सर्वेक्षण, वन और पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन करने आदि सहित कोयला ब्लॉक के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों को शुरू किया है। 31 मार्च,

2018 तक, भूमि अधिग्रहण पूंजीगत कार्य प्रगति पर और अमूर्त संपत्ति विकास के तहत कंपनी ने करीब रुपये 75.62 करोड़, का निवेश किया है।

वर्तमान स्थिति:

24 सितंबर 2014 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आवंटन प्रक्रिया को मनमानी और आवंटन को अवैध बताते हुए 1993-2012 के दौरान किए गए 204 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द कर दिया। दो ब्लॉकों में से केवल उत्कल-ए-गोपालप्रसाद कोयला ब्लॉक, जो 204 कोयला ब्लॉकों का हिस्सा था, का भी आवंटन रद्द कर दिया गया।

नामित प्राधिकारी ने कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड को उत्कल-ए-गोपाल प्रसाद कोयला ब्लॉक आवंटित करने के निर्णय से अवगत कराया और पूर्व आबंटिती को देय मुआवजे के मूल्यांकन के लिए कुछ जानकारी मांगी। पूर्व आबंटिती द्वारा निर्धारित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत की गई थी।

कंपनी नए आबंटिती से नामित प्राधिकारी, एमओसी के माध्यम से भूमि अधिग्रहण, पूंजीगत कार्य प्रगति पर और अमूर्त संपत्ति के लिए खर्च की गई राशि के लिए मुआवजा पाने की हकदार है। कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत नामित प्राधिकारी द्वारा मुआवजे का निर्धारण किया जा रहा है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और बहिर्गमन:

उपरोक्त मामले पर प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी को 2008-09 में निगमित किया गया है और ऐसी कोई गतिविधि अभी तक शुरू नहीं की गई है।

जोखिम प्रबंधन:

कंपनी के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और उसके नियंत्रण के लिए उचित महत्व निहित जोखिम के कारण एक प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए दिया जाता है, बाहरी और आंतरिक, आवश्यक नियंत्रण उपाय नियमित रूप से किए जाते हैं। भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी और पर्यावरणीय समस्याएं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिनकी प्रबंधन द्वारा लगातार निगरानी की जाती है।

संबंधित पार्टी लेनदेन:

वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी संबंधित पार्टी लेनदेन हाथ की लंबाई के आधार पर थे और व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में थे। कंपनी द्वारा प्रमोटरों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया गया है, जो बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है।

ऋण गारंटी या निवेश का विवरण:

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और धारा 186 (4) और (11) और कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा जारी 13 फरवरी, 2015 के स्पष्टीकरण के अनुसार किए गए निवेश, दिए गए ऋण या गारंटी के पूर्ण विवरण के वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की आवश्यकता है दी गई या सुरक्षा प्रदान की गई है और जिस उद्देश्य के लिए ऋण या गारंटी या सुरक्षा का उपयोग ऋण या गारंटी के प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, का खुलासा किया गया है।

सतर्कता तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति:

सरकार होने के नाते। कंपनी, कंपनी की गतिविधियां सीएजी, सतर्कता, सीबीआई आदि द्वारा लेखापरीक्षा के लिए खुली हैं।

नामांकन समिति:

कंपनी ने अभी तक नॉमिनेशन कमेटी का गठन नहीं किया है।

कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी:

कंपनी विकास के चरण में है, वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए कोई व्यय नहीं किया गया है।

पूंजी संरचना:

31.03.2022 को कंपनी की अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी रुपये है। 200.00 करोड़ और जारी और सब्सक्राइब्ड इक्विटी पूंजी रुपये है। 95.10 करोड़, जिसका कंपनी के शेयर धारकों ने योगदान दिया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

(रुपये करोड़ में)

शेयर धारक का नाम	राशि	शेयरधारिता प्रतिशत
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	57.06	60
जे.एस.डब्ल्यू. स्टील लिमिटेड	10.46	11
जे.एस. डब्ल्यू. एनर्जी लिमिटेड	10.46	11
जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड	8.56	9
श्याम मेटलैक्स एंड एनर्जी लिमिटेड	8.56	9
कुल	95.10	100

वित्तीय समीक्षा

कंपनी उत्कल ए-गोपालप्रसाद की खदानों का आवंटन रद्द कर दिया गया। अतः कंपनी की लेखा नीतियों के अनुसार, अवधि के दौरान किए गए सभी व्यय को समीक्षाधीन अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया गया है। खातों से वित्तीय डेटा की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं।

31 मार्च, 2022 को बैलेंस शीट सामग्री।

क्रमांक	विशेष	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
1	अधिकृत शेयर पूंजी	20,000.00	20,000.00
2	पेड अप शेयर पूंजी	9510.00	9510.00
3	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	0.52	0.75
4	नकद और नकद समकक्ष (जमा सहित)	2006.45	1917.05
5	चालू परिसंपत्तियां (नकद और नकद समकक्षों को छोड़कर)	5929.30	5925.69
6	वर्तमान देनदारियां	523.32	439.59

लाभ और हानि विवरण का सारांश

क्रमांक	विशेष	चालू वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
1	अन्य आय	94.31	105.00
2	कर से पहले लाभ	9.05	(43.78)
3	कर खर्चा	0.00	0.00
4	कर के बाद लाभ	9.05	(43.78)

लेखापरीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत, निम्नलिखित लेखापरीक्षा फर्म को वर्ष 2021-22 के लेखों की लेखापरीक्षा के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था: -

राजेश सराफ एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट,

अंगुल, उड़ीसा।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के तहत, निम्नलिखित फर्म को वर्ष 2021-22 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था:-

मेसर्स बिस्वरंजन जेना एंड कंपनी,
प्राैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी
भुवनेश्वर, उड़ीसा

निदेशक मंडल

- 1 श्री के. आर. वासुदेवन(डीआईएन:07915732) अध्यक्ष (प्रभावी कार्य दिवस 06.12.2021)
- 2 श्री एस.के.पाल (डीआईएन:09034709) निदेशक (प्रभावी कार्य दिवस 16.01.2022)
- 3 श्री दिपांकर पंडा (डीआईएन:06833507) निदेशक (प्रभावी कार्य दिवस 22.07.2021)
- 4 श्री एस.एस. उपाध्याय (डीआईएन:07314313) निदेशक (प्रभावी कार्य दिवस 29.07.2016)
- 5 श्री चन्द्रा प्रकाश टटेड (डीआईएन:08364541) निदेशक (प्रभावी कार्य दिवस 17.06.2019)
- 6 श्री सूभाजीत सरकार (डीआईएन:09286970) निदेशक (प्रभावी कार्य दिवस 22.07.2021)
- 7 श्री अनुपम श्रीवास्तव (डीआईएन:09502251) निदेशक (प्रभावी कार्य दिवस 16.01.2022)
- 8 श्री राजीवा बसंत रिगें (डीआईएन:09507096) निदेशक (प्रभावी कार्य दिवस 16.01.2022)

16. बोर्ड की बैठकें:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड की तीन बैठकें हुईं। इस अवधि के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है।

बैठक क्रमांक	बैठक की तिथि	बैठक का स्थान
58वीं.	26.04.2021	एमसीएल कार्यालय, संबलपुर
59वीं	22.07.2021	एमसीएल कार्यालय, संबलपुर
60वीं	19.10.2021	एमसीएल कार्यालय, संबलपुर
61वीं	17.01.2021	एमसीएल कार्यालय, संबलपुर

बोर्ड की संरचना पर विवरण, निदेशकों की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति: -

निदेशकों के नाम	वर्ग	बोर्ड बैठक	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	में भाग लिया
श्री के.आर. वासुदेवन	गैर-कार्यकारी	4	4
श्री एस.के.पाल	गैर-कार्यकारी	1	1
श्री दिपांकर पंडा	गैर-कार्यकारी	4	2
श्री एस.एस.उपाध्याय	गैर-कार्यकारी	4	2
श्री चन्द्रा प्रकाश टटेड	गैर-कार्यकारी	4	3
श्री सुभाजीत सरकार	गैर-कार्यकारी	4	3
श्री अनुपम श्रीवास्तव	गैर-कार्यकारी	1	1
श्री राजीव बंसत रिंगे	गैर-कार्यकारी	1	1
श्री के.के.राउल	गैर-कार्यकारी	3	2
श्री ए.के.सिंह	गैर-कार्यकारी	3	3
श्री ए. हुसैन	गैर-कार्यकारी	3	3

निदेशकों की जिम्मेदारी का बयान

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-134(5) के तहत निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में आवश्यकता के अनुसार, इसकी पुष्टि की जाती है: -

- 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है (खातों पर अतिरिक्त टिप्पणियों में बताए गए को छोड़कर)।
- निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की सही और निष्पक्ष स्थिति दी जा सके। उस अवधि के लिए कंपनी का लाभ या हानि।
- निदेशकों ने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है।
- निदेशकों ने 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए खातों को एक सतत आधार पर तैयार किया है।

5. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

कर्मचारियों का विवरण:

कंपनी के कर्मचारियों के संबंध में कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 197 के अनुसार आवश्यक जानकारी अनुरोध पर प्रदान की जाएगी। अधिनियम की धारा 136 के अनुसार, रिपोर्ट और लेखे सदस्यों और उसके हकदार अन्य लोगों को भेजे जा रहे हैं, कर्मचारियों के विवरण की जानकारी को छोड़कर जो सदस्यों द्वारा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कंपनी के कार्य दिवस। यदि कोई सदस्य इसका निरीक्षण करने में रुचि रखता है, तो ऐसा सदस्य कंपनी सचिव को अग्रिम रूप से लिख सकता है।

सी एंड ए जी टिप्पणियाँ:

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इसके साथ संलग्न हैं।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट / सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट:

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों को प्रासंगिक टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाता है, जो स्वयं व्याख्यात्मक हैं और इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि कंपनी अधिनियम की धारा 204 (1) के तहत आवश्यक है, 2013 कंपनी ने इसके साथ संलग्न एक सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की है।

स्वीकृति

आपके निदेशक कंपनी की प्रगति के लिए अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन, समर्थन और सहयोग के लिए सीएमडी, एमसीएल के आभारी हैं।

आपके निदेशक कंपनी के विकास के लिए समय-समय पर प्रदान की गई सहायता और सहयोग के लिए स्थानीय प्रशासन के प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय और कंपनी रजिस्ट्रार, ओडिशा के कार्यालय, लेखापरीक्षकों, अधिकारियों और महानिदेशालय (कोयला), कोलकाता के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना करते हैं।

परिशिष्ट

निम्नलिखित कागजात संलग्न हैं:-

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के तहत नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (अनुलग्नक - I)
2. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी (अनुलग्नक - II)
3. सचिवीय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (अनुलग्नक - III)

एसडी/-
(के. आर. वासुदेवन)
डी.आई.एन. 07915732
अध्यक्ष

दिनांक : 15.07.2022

स्थान - संबलपुर

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

सदस्यगण

एमजेएसजे कोल लिमिटेड

मत

हमने एमजेएसजे कोल लिमिटेड ("कंपनी") के साथ-साथ स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च 2022 तक की बैलेंस शीट, और उसके बाद समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी को वित्तीय विवरणों के सारांश सहित नोट किया गया है। हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") (और) भारतीय लेखांकन मानक(नियम, 2015, जैसा संशोधित,) "भारतीय लेखांकन मानक" (और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप निष्पक्ष दृश्य 31 मार्च, 2022 को कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ के आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं।

राय के लिए आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग)एसए(पर मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को ऑडिटर की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपायुक्त हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा -133 के तहत निर्दिष्ट इंड-एस के अनुसार कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांत जो वित्तीय स्थिति का सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान

लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जो कि संस्था, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू हो, संस्था से संबन्धित मामले और लेखांकन के चालू संस्था के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या यथार्थवादी नहीं है, वैकल्पिक है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक दुरुव्यवहार से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एएस के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं या सामग्री मानी जाती है यदि व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

अन्य मामला

- (i) कंपनी ने अपनी अचल संपत्तियों जैसे अचल संपत्तियों पर कोई बीमा कवरेज नहीं लिया है।
- (ii) प्रबंधन द्वारा विविध लेनदारों, ठेकेदारों, ठेकेदारों और अन्य को दिए गए अग्रिमों से शेष राशि पुष्टिकरण प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- 1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी आवश्यकता के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") आवश्यकता के अनुसार, हमने "अनुलग्नक-ए" में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान दिया है।
- 2) हमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों पर "अनुलग्नक-बी" में दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हम अपनी रिपोर्ट को अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार कंपनी के बही-खातों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर संलग्न कर रहे हैं जिसे हम उचित समझते हैं
- 3) और जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए उपरोक्त इंड-एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।
- ख) हमारी राय में, उपरोक्त इंड-एएस वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों को कंपनी द्वारा रखा गया है।
- ग) बैलेंस शीट, इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए लाभ और हानि का विवरण इंड-एएस वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से बनाए गए खाते की संबंधित पुस्तकों के अनुरूप है।
- घ) हमारी राय में कंपनी 133 धारा के अधिनियम 2014 नियम (लेखा), नियम लेखांकन भारतीय 7 मानक के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।
- ङ) हमें सूचित किया जाता है कि निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी है।
- च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक-सी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
- छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

- 1) कंपनी ने नोट -38 के बिंदु संख्या 1 के माध्यम से अपने स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है।
- 2) जैसा कि हमें समझाया गया है, कंपनी ने कोई डेरिवेटिव अनुबंध नहीं किया है और कंपनी ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर किसी भी महत्वपूर्ण नुकसान का अनुमान नहीं लगाया है, इसलिए इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 3) चूंकि क्षेत्र को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(2) के तहत निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में किसी भी राशि को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए किसी भी राशि को फंड में स्थानांतरित करने में देरी नहीं होती है।

राजेश सराफ एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन:324121ई

दिनांक: 04 मई 2022
स्थान :अंगुल

ह/-
सीए आरके सराफ, एफसीए
सदस्यता संख्या 059768
यूडीआईएन: 22059768AIIHJQ2564

(अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के पैराग्राफ 2में संदर्भित)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड (1)क(एएस वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- क) कंपनी ने अपनी अचल संपत्तियों की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
- ख) जैसा कि हमें समझाया गया है, प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है; इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।
- ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार और अभिलेखों के स्पष्टीकरण के आधार पर, सीबी (ए एंड डी) अधिनियम / एलए अधिनियम आदि के तहत भूमि हस्तांतरण राजपत्र अधिसूचना आदि के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि हालांकि अचल संपत्तियों का शीर्षक (भूमि पट्टा) राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से कंपनी के नाम स्थानांतरित कर दिया गया है, इसे राज्य सरकार के राजस्व रिकॉर्ड में राइट-टू-रिकॉर्ड (आरओआर) के रूप में दर्ज करने की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है।
- घ) जैसा कि हमें बताया गया है, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ है।
- ड. "बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(2) क) जैसा कि हमें बताया गया है, क्षेत्र द्वारा इन्वेंट्री का रखरखाव नहीं किया जाता है, और इसलिए भौतिक सत्यापन उस पर लागू नहीं होता है।

ख) जैसा कि हमें समझाया गया है, कंपनी को वर्तमान संपत्ति की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है।

(3) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और लेखा पुस्तकों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत कंपनी ने पंजीकृत रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को सुरक्षित या असुरक्षित कोई भी ऋण, नहीं दिया है। नतीजतन, आदेश के खंड (iii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(4) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा बही खातों की जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा प्रदान नहीं की है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(5) कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और प्रावधान धारा 73 से 76 या अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के संबंध में कंपनी अधिनियम (जमा की स्वीकृति), नियम, 2015 जनता से स्वीकार की गई जमाराशियों पर लागू नहीं है। कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अदालत या किसी अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

(6) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत लागत अभिलेखों का रखरखाव निर्दिष्ट किया गया है और हमारी जांच के आधार पर, ऐसे खातों और अभिलेखों को ऐसा बनाया गया है और रखा गया है।

(7)क) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री-कर, सेवा कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया लागू सीमा तक कर, उपकर और कोई अन्य सांविधिक देय राशियों को सामान्यतः उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किया गया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2022 को उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई बकाया वैधानिक बकाया नहीं था।

ख) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, किसी भी विवाद के कारण आयकर, बिक्री-कर, सेवा कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी भी अन्य वैधानिक बकाया का कोई बकाया नहीं है।

(8) जैसा कि हमें समझाया गया है, ऐसे कोई मामले नहीं हैं जहां खाते की किताबों में दर्ज लेनदेन को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया हो।

(9)क) हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय है कि, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या डिबेंचर धारक को बकाया राशि के भुगतान में चूक नहीं की है, जैसा कि कंपनी के लिए लागू है।

ख) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है

ग) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया गया है

घ) कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक, शॉर्ट टर्म आधार पर कोई फंड नहीं जुटाया गया है

ड) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

च) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वर्ष के दौरान ऋण नहीं लिया है।

(10)क) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण साधनों सहित) के माध्यम से कोई पैसा नहीं उठाया गया है।

ख) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई प्राथमिक आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

(11) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई। तदनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के साथ कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

(12) कंपनी, निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश का खंड (xii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(13) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और वित्तीय विवरणों आदि में विवरण का खुलासा किया गया है, जैसा कि लागू भारतीय लेखांकन मानक द्वारा आवश्यक है।

(14)क) कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

ख) लेखापरीक्षा की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करते हुए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है।

(15) कंपनी ने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है।

(16) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

(17) कंपनी को वित्तीय वर्ष में और ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।

(18) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों के इस्तीफे का कोई उदाहरण नहीं है।

(19) लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि के अनुसार कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है जो यह इंगित करती है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर बैलेंस शीट की तारीख में मौजूदा अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

(20) चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने उक्त अधिनियम की धारा 135 के अनुसार, उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में अव्ययित राशि को स्थानांतरित नहीं किया है। क्योंकि यह क्षेत्र पर लागू नहीं है।

(21) ऑडिट रिपोर्ट स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर राय का प्रतिनिधित्व कर रही है, इसलिए समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

राजेश सराफ एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन:324121ई

ह/-

सीए आरके सराफ ,एफसीए
सदस्यता संख्या 059768
यूडीआईएन:22059768AIJHJQ2564

दिनांक : 04 मई 2022

स्थान : अंगुल

वर्ष 2021-22 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश
और अतिरिक्त निर्देश के अनुसार रिपोर्ट

अनुलग्नक -बी (i)

क्रम संख्या	विवरण	लेखापरीक्षक का उत्तर
01.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर की खातों की विश्वसनीयता पर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ कहा जा सकता है।	हां, कोल नेट अकाउंटिंग सिस्टम चालू है
02.	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है।	ऐसा कोई मामला नहीं है।
03.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि का (अनुदान/सब्सिडी आदि) नियमों और शर्तों के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	केंद्र/राज्य सरकार या एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) प्राप्त/प्राप्य नहीं है।

अनुलग्नक -बी (ii)

क्रम संख्या	विवरण	लेखापरीक्षक का उत्तर
01.	क्या समोच्च मानचित्र को को ध्यान में रखते हुए कोयले के स्टॉक की माप की गई थी। क्या भौतिक स्टॉक मापन रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्च मानचित्रों के साथ हैं? क्या वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेर, यदि कोई हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया था?	लागू नहीं
02.	क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय/विभाजन/पुनर्संरचना के समय परिसंपत्तियों और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया है। यदि हां, तो क्या संबंधित सहायक कंपनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है?	वर्ष के दौरान कोई विलय/विभाजन/पुनर्संरचना नहीं।
03.	क्या सीआईएल और इसकी अनुषंगी कंपनियों में प्रत्येक खान के लिए अलग एस्करो खाते बनाए गए हैं। खाते की निधि के उपयोग का भी जांच किया जाता है।	क्षेत्र में कोई एस्करो खाता नहीं है।
04.	क्या अवैध खनन के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाए गए दंड के प्रभाव पर विधिवत विचार किया गया है और इसका हिसाब लगाया गया है?	वर्ष के दौरान ऐसी कोई मांग नहीं है।

राजेश सराफ एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन:324121ई

ह/-

सीए आरके सराफ, एफसीए

सदस्यता संख्या 059768

यूडीआईएन: 22059768AIJHQ2564

दिनांक: 04 मई 2022

स्थान :अंगुल

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम ("की धारा 143की उप-धारा 3के खंड)) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च 2022, कंपनी के रूप में एमजेएसजे कोल लिमिटेड(कंपनी) के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक मानक लेखांकन वित्तीय विवरण के संयोजन के रूप में हमारे इस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण का हमने लेखा परीक्षा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए कंपनी प्रबंधन जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत डिजाइन, कंपनी की नीतियों का पालन सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है। अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, सटीकता सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व है, हमारे ऑडिट के आधार पर कंपनी के इन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत व्यक्त करना है। हमने कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट एवं भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किया गया। लेखा परीक्षा मानकों और लेखा परीक्षा के वित्तीय प्रतिवेदन (मार्गदर्शन नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शकीय नोट के अनुसार लेखापरीक्षा किया है। यह मानक नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप है। तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार नियोजित और निष्पादित किया कि हमें जो वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त हुए वह अनुरक्षित एवं स्थापित एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में हमारे ऑडिट में साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करने के लिए मौजूदा सामग्री की कमजोरी से होनेवाली जोखिम का आकलन करना। डिजाइन के परीक्षण एवं मूल्यांकन और जोखिम के आकलन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के हमारी लेखापरीक्षा में शामिल किया गया है। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरणों के जोखिमों का आकलन शामिल है। चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे भारतीय मानक वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता तथा आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी परियोजनाओं के लिए वित्तीय व्यक्तियों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है, (2) स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है और कंपनी की प्राप्ति और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा

(3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, जिसका भारतीय मानक वित्तीय विवरण पर प्रभाव हो सकता है, का समय पर पता लगाना एवं रोक-थाम के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण नियंत्रण की मिलाभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराईड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री की गड़बड़ी हो सकती है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान भविष्य की अवधि के लिए इस जोकिम के अधीन है जो की स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता है।

मत

हमारी राय में, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए कंपनी के पास अपनी लेखा नीति या प्रक्रिया नियमावली नहीं है। जैसा की हमें सूचित किया गया है, एमसीएल की सहायक कंपनी होने के नाते, कंपनी एमसीएल की नीतियों का पालन कर रही है। हालांकि कंपनी के पास उपलब्ध वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया / प्रक्रिया पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्वीकृति के संबंध में कोई बोर्ड संकल्प नहीं है।

राजेश सराफ एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन324121:ई

ह/-

सीए आरके सराफ, एफसीए

सदस्यता संख्या 059768

यूडीआईएन:22059768AIJHJQ2564

दिनांक : 04 मई 2022

स्थान : अंगुल

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत एमजेएसजे कोल लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एमएनएच शक्ति लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित अंकेक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। इसका उल्लेख उनके द्वारा दिनांक 04 मई 2022 को की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एमजेएसजे कोल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखा परीक्षा किया है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जिससे अधिनियम की धारा 143(6) (बी) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी या पूरक की आवश्यकता हो।

कृते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ताक्षर/-

(मौसूमी राय भट्टाचार्य)

महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोल)

कोलकाता

स्थान : कोलकाता

दिनांक: 08.07.2022

फॉर्म नंबर MR-3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक(नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

प्रति,

सदस्यगण,

एमजेएसजे कोल लिमिटेड,

बलंदा ट्रांजिटकैम्प में एमजेएसजे कार्यालय , पहली मंजिल

एटी/पोस्ट-बलंदा/दक्षिण बलंदा तालचर अंगुल या 759116 IN।

मैंने मेसर्स एमजेएसजे कोल लिमिटेड)बाद में 'कंपनी' कहा गया है(द्वारा निगमित प्रथाओं के अवलंबन में लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन का सचिवीय लेखा परीक्षा किया है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह से आयोजित की गई थी जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार मिला। सचिवीय लेखा-परीक्षा के दौरान कंपनी उसके अधिकारियों, एजेन्टों, और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार कंपनी के बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बही, प्रपत्रों और दायर विवरणों और अन्य रेकॉर्ड के जांच के आधार पर हमने अपने राय के अनुसार प्रतिवेदित किया है कि कंपनी ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित अवधि में निम्न सूचिवद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है। तथा कंपनी के पास निम्नानुसार यथोचित बोर्ड-प्रक्रियाएँ द्वारा अनुपालन-तंत्र मौजूद है।

मैंने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दायर विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्न प्रावधानों के अनुसार की है:

- 1) कंपनी अधिनियम ,2013 और उसके तहत बनाए गए नियम;
- 2) कंपनी अधिनियम ,1956 और उसके तहत बनाए गए नियम ,निर्दिष्ट वर्गों के लिए अभी तक अधिसूचित नहीं किए गए हैं;
- 3) प्रतिभूति अनुबंध (अधिनियम ,1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम ;रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं है।
- 4) डिपॉजिटरी एक्ट ,1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम ;रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं है।

- 5) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम ,1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ,विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक ,रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम ,1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:-

- क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम ,2011 - रिपोर्ट की अवधि के दौरान लागू नहीं।
- ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम ,1992 - रिपोर्ट की अवधि के दौरान लागू नहीं।
- ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम ,2009 - रिपोर्ट की अवधि के दौरान लागू नहीं।
- घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश ,1999- रिपोर्ट की अवधि के दौरान लागू नहीं।
- ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड(ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम ,2008 - रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।
- च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एक निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के लिए रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में -रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान लागू नहीं।
- छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना)विनियम ,2009- रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।
- ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद)विनियम1998 ,- रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।
- 6) मैंने कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा कंपनी के लिए अन्य लागू अधिनियमों ,कानूनों और विनियमों के अनुपालन के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रणालियों और तंत्र के लिए दिए गए प्रतिनिधित्व पर भरोसा किया है। कंपनी पर लागू अधिनियमों ,कानूनों और विनियमों के प्रमुख प्रमुखों/समूहों की सूची जैसे:
- क) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।
- ख) कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किया गया लिस्टिंग समझौता ,यदि लागू हो :लागू नहीं
- ग) कारखाना अधिनियम;1948 ,
- घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम;1947 ,

- ड) ट्रेड यूनियनों, प्रशिक्षुओं, औद्योगिक रोजगार, मोटर परिवहन श्रमिकों, आदि से संबंधित औद्योगिक कानून।
- च) खनन गतिविधियों से संबंधित निर्धारित अधिनियम;
- छ) श्रम कानून और कंपनी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों और कर्मचारियों से संबंधित अन्य आकस्मिक कानून या तो वेतन, बोनस, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, ईएसआईसी, मुआवजा, मातृत्व लाभ, श्रम कल्याण, आदि से संबंधित अनुबंध के आधार पर;
- ज) पर्यावरण और संरक्षण के तहत निर्धारित अधिनियम;
- झ) अनुबंधों, टिकटों, प्रतियोगिताओं आदि से संबंधित व्यावसायिक कानून।

7) समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि कंपनी ने, मेरी राय में, कंपनी अधिनियम, 1956 और कंपनी अधिनियम, 2013 के बाकी प्रावधानों और उसके तहत मंत्रालय और कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन और लेख द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है, जैसा कि अधिसूचित किया गया है जो निम्न में हैं:-

- क) विभिन्न सांविधिक रजिस्ट्रारों और दस्तावेजों का रखरखाव और उनमें आवश्यक प्रविष्टियां करना;
- ख) कंपनी रजिस्ट्रार और केंद्र सरकार के पास फाइल करने के लिए आवश्यक फॉर्म, रिटर्न, दस्तावेज और संकल्प;
- ग) कंपनी द्वारा अपने सदस्यों, लेखा परीक्षकों और कंपनी रजिस्ट्रार पर दस्तावेजों की प्रस्तुति;
- घ) बोर्ड की बैठकों की सूचना;
- ङ) सर्कुलेशन द्वारा प्रस्तावों को पारित करने सहित निदेशकों की बैठक;
- च) सदस्यों, निदेशक मंडल और सरकारी अधिकारियों की स्वीकृति, जहां कहीं भी आवश्यक;
- छ) हालांकि, आरओसी के पास दाखिल की गई कुछ सांविधिक विवरणियां निर्धारित देय तिथि से आगे की थीं और अतिरिक्त शुल्क के साथ अनुपालन किया गया।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यकतानुसार विधिवत गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया था, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, बैठक में सार्थक भागीदारी और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।।

सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं, जबकि असंतुष्ट सदस्यों के विचार, यदि कोई हों, को कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में दर्ज और दर्ज किया जाता है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों और स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं।

बिस्वरंजन जेना एंड कंपनी के लिए
कंपनी सचिवों

ह/-

सीएस बिस्वरंजन जेना

एम संख्या: 10469

सीपी संख्या: 11981

यूडीआईएन:

स्थान: भुवनेश्वर

दिनांक: 04.07.2022

इस रिपोर्ट को हमारे कार्यक्रम की तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो अनुबंध -ए के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

प्रति,
सदस्यगण,
एमजेएसजे कोल लिमिटेड,
बलंदा ट्रांजिटकैम्प में एमजेएसजे कार्यालय , पहली मंजिल
एटी/पोस्ट-बलंदा/दक्षिण बलंदा तालचर अंगुल या 759116 IN।

इस तिथि के साथ हमारी प्रतिवेदन को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

- 1) सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है।
- 2) मैंने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन परीक्षा के आधार पर किया गया त्ज़ा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं। मेरा विश्वास है कि मैंने अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का पालन किया है, वे मेरे मत को एक उचित आधार प्रदान करते हैं।
- 3) मैंने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और खातों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।
- 4) मैंने कानूनों ,नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के होने के बारे में आवश्यकतानुसार प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
- 5) कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों ,नियमों ,विनियमों ,मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
- 6) सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के साथ ,जिसके लिए प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

बिस्वरंजन जेना एंड कंपनी के लिए
कंपनी सचिवों

ह/-

सीएस बिस्वरंजन जेना

एम संख्या: 10469

सीपी संख्या: 11981

यूडीआईएन:

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 04.07.2022

31.03.2022 के अनुसार तुलनापत्र

(₹ लाख में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
परिसंपत्तियाँ			
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	0.52	0.75
ख) पूंजीगत कार्य में प्रगति	4	-	-
(ग) अन्वेषित और मूल्यांकित संपत्ति	5	-	-
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	6.1	-	-
(ङ) विकास के तहत अमूर्त संपत्तियाँ	6.2	-	-
च) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) ऋण	8	-	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	-	-
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)		-	-
(ज) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	10	-	-
कुल गैर - चालू संपत्तियाँ (क)		0.52	0.75
चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) वस्तु-सूची	12	-	-
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) व्यापार प्राप्त्य	13	-	-
(iii) नकद और नकद समकक्ष	14	2,006.45	1,917.05
(iv) अन्य बैंक शेष	15	-	-
(v) ऋण	8	-	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	5,707.73	5,708.68
(ग) चालू कर संपत्तियाँ (शुद्ध)		135.18	130.62
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	11	86.39	86.39
कुल चालू परिसंपत्तियाँ (ख)		7,935.75	7,842.74
कुल परिसंपत्तियाँ (क + ख)		7,936.27	7,843.49

31.03.2022 के अनुसार तुलनपत्र

(₹ लाख में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	16	9,510.00	9,510.00
(ख) अन्य इक्विटी	17	-2,097.05	-2,106.10
कंपनी के इक्विटीधारकों के कारण इक्विटी		7,412.95	7,403.90
गैर नियंत्रित ब्याज		-	-
कुल इक्विटी (क)		7,412.95	7,403.90
देयताएँ			
गैर चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	18	-	-
(ii) पट्टा देयताएं		-	-
(iii) व्यापार प्राप्त्य		-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	-	-
(ख) प्रावधान	21	-	-
(ग) आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)		-	-
(घ) अन्य गैर-चालू देयताएं	22	-	-
कुल गैर-चालू देयताएँ (ख)		-	-
चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	18	-	-
(ii) पट्टा देयताएं		-	-
(iii) व्यापार प्राप्त्य	19	-	-
(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		-	-
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	20	522.54	439.12
(ख) अन्य चालू देनदारियां	23	0.78	0.47
(ग) प्रावधान	21	-	-
(घ) वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)		-	-
कुल चालू देनदारियां (ग)		523.32	439.59
कुल इक्विटी और देनदारियां (क+ख+ग)		7,936.27	7,843.49

संलग्न टिप्पणी संख्या 1 से 38 वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

संलग्नित हमारी रिपोर्ट के अनुसार

बोर्ड की ओर से

ह/-
(एम.आर. मिश्रा)
सीएफओ

ह/-
(आर.वी.रिंगे)
सीईओ/निदेशक
डीआईएन- 9507096

ह/-
(के.आर.वासुदेवन)
अध्यक्ष
डीआईएन- 7915732

सम तिथि की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
राजेश सराफ एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन:324121E

ह/-
सनदी लेखाकार राजेश सराफ
साझेदार
सदस्यता संख्या:059768

दिनांक : 26.04.2022

स्थान : संबलपुर

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि विवरण

(₹ लाख में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए
संचालन से राजस्व			
क. बिक्री (सांविधिक लेवी का शुद्ध)	24	-	-
ख. अन्य परिचालन राजस्व (सांविधिक लेवी का शुद्ध)		-	-
(I) संचालन से राजस्व (क+ख)		-	-
(II) अन्य आय	25	94.31	105.00
(III) कुल आय (I+II)		94.31	105.00
(IV) व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	26	-	-
स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद		-	-
निर्मित माल की वस्तु-सूची/कार्य प्रगति में परिवर्तन एवं व्यापार में स्टॉक कर्मचारी लाभ व्यय	27 28	- 41.12	- 81.63
ऊर्जा व्यय		-	-
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	29	-	-
मरम्मत	30	1.25	-
संविदात्मक व्यय	31	-	-
वित्त लागत	32	16.79	10.94
मूल्यहास / परिशोधन / हानि प्रावधान	33	0.22	0.22
बट्टे खाते डालना	34	-	-
स्ट्रैपिंग गतिविधि समायोजन		-	-
अन्य व्यय	35	25.88	55.99
कुल व्यय (IV)		85.26	148.78
(V) संयुक्त उपभोग/सहयोगी के लाभ/(हानि) के हिस्से से पहले लाभ (III-IV)		9.05	-43.78
(VI) संयुक्त उपभोग/सहयोगी के लाभ/(हानि) का हिस्सा		-	-
(VI) असाधारण मद		-	-
(VII) कर पूर्व लाभ (V+VI)		9.05	-43.78
(VIII) कर व्यय			
चालू कर		-	-
आस्थगित कर		-	-
कुल कर व्यय (VIII)		-	-
(IX) सतत संचालन से अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)		9.05	-43.78
(X) बंद किए गए परिचालनों से लाभ/(हानि)		-	-
(XI) बंद किए गए परिचालनों का कर व्यय		-	-
(XII) बंद किए गए परिचालनों से लाभ/(हानि) (कर के बाद) (X-XI)		-	-
(XIII) अवधि के लिए लाभ (IX+X+XI+XII)		9.05	-43.78

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि विवरण

(₹ लाख में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2022 को	
		समाप्त अवधि के लिए	31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए
(XIV) अन्य व्यापक आय			
क. (i) मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।	37	-	-
(ii) मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।		-	-
ख. (i) मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
(ii) मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-
(XV) कुल अन्य व्यापक आय		-	-
(XVI) कुल व्यापक आय (XIV+XV) (लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय को मिलाकर)		9.05	-43.78
लाभ के लिए जिम्मेदार :			
कंपनी के स्वामी		9.05	-43.78
अनियंत्रित ब्याज		-	-
		9.05	-43.78
अन्य व्यापक आय के कारण:			
कंपनी के स्वामी		-	-
अनियंत्रित ब्याज		-	-
		-	-
कुल व्यापक आय के कारण :			
कंपनी के स्वामी		9.05	-43.78
अनियंत्रित ब्याज		-	-
		9.05	-43.78
(XVII) प्रति इक्विटी शेयर आय (जारी संचालन के लिए):			
(1) मूल		13.67	-66.15
(2) मंदित		13.67	-66.15
(XVIII) प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद परिचालन के लिए):			
(1) मूल		-	-
(2) मंदित		-	-
(XIX) प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद और निरंतर संचालन के लिए):			
(1) मूल		13.67	-66.15
(2) मंदित		13.67	-66.15

संलग्न टिप्पण वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा है।

बोर्ड की ओर से संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

ह/-
(एम.आर मिश्रा)
सीएफओ

ह/-
(आर.वी.रिंगे)
सीईओ/निदेशक
डीआईएन- 9507096

ह/-
(के.आर यासुदेवन)
अध्यक्ष
डीआईएन- 7915732

सम तिथि की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

राजेश सराफ एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन:324121E

ह/-
सनदी लेखाकार राजेश सराफ
साझेदार
सदस्यता संख्या:059768

दिनांक : 26.04.2022

स्थान : संबलपुर

नकदी प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

(₹ लाख में)

	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व कुल व्यापक आय	9.05	(43.78)
के लिए समायोजन:	0.00	-
लंबी अवधि के उधार पर विनिमय में उतार-चढ़ाव का नुकसान		
अचल संपत्तियों का मूल्यह्रास / हानि	0.22	0.22
बैंक जमाओं से ब्याज	-94.31	-105.00
वित्तीय गतिविधि से संबंधित वित्त लागत	16.79	10.94
निवेश से ब्याज/लाभांश	0.00	-
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि	0.00	-
चालू/गैर चालू आस्तियों और देनदारियों से पहले परिचालन लाभ	<u>-68.25</u>	<u>-137.62</u>
के लिए समायोजन:		
लघु/दीर्घकालिक ऋण/अग्रिम और अन्य चालू परिसंपत्तियां	0.95	0.35
लघु/दीर्घकालिक देयताएं और प्रावधान	83.73	145.93
संचालन से उत्पन्न नकद	<u>16.44</u>	<u>8.66</u>
आयकर का भुगतान/धनवापसी	-4.56	-8.58
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	(क) 11.88	0.08
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल संपत्तियों की खरीद	0.00	(0.00)
बैंक जमा में निवेश	0.00	-
निवेश में बदलाव	0.00	-
संयुक्त उद्यम में निवेश	0.00	-
निवेश गतिविधियों से संबंधित ब्याज	0.00	-
निवेश से ब्याज/लाभांश	94.31	105.00
म्यूचुअल फंड निवेश में निवेश		-
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद	(ख) 94.31	105.00

	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
चुकोती/अल्पकालिक उधारों में वृद्धि	0.00	-
उधार की चुकोती	0.00	-
लघु अवधि की उधारी	0.00	-
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ब्याज और विल लागत	(16.79)	(10.94)
स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि की प्राप्ति	0.00	-
लाभांश और लाभांश कर	0.00	-
इक्विटी शेयर पूंजी का बायबैक	0.00	-
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी	(16.79)	(10.94)
	(ग)	
कद और बैंक शेष में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (क + ख + ग)	89.40	94.14
नकद और बैंक शेष (शुरुआती शेष राशि)	1,917.05	1,822.91
नकद और बैंक शेष (अंतिम शेष)	2,006.45	1,917.05
(कोष्ठक में सभी आंकड़े बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करते हैं।)	89.40	94.14

ह/-
(एम.आर. मिश्रा)
सीएफओ

ह/-
(आर.वी.रिंगे)
सीईओ/निदेशक
डीआईएन- 9507096

ह/-
(के.आर.वासुदेयन)
अध्यक्ष
डीआईएन- 7915732

सम तिथि की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
राजेश सराफ एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन:324121E

ह/-
सनदी लेखाकार राजेश सराफ
साइनेदार
सदस्यता संख्या:059768

दिनांक : 26.04.2022
स्थान : संवलपुर

31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

विवरण	01-04-2021	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01-04-2021	वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2022
	तक शेष राशि		तक पुनः वर्णित शेष		तक शेष राशि
10 रु. दर से प्रत्येक के 95100000 इक्विटी शेयर	9,510.00	-	9,510.00	-	9,510.00

विवरण	01-04-2020	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01-04-2020	वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2021
	तक शेष राशि		तक पुनः वर्णित शेष		तक शेष राशि
10 रु. दर से प्रत्येक के 95100000 इक्विटी शेयर	9,510.00	-	9,510.00	-	9,510.00

विवरण	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (फर का शुद्ध) - (ओसीआई)	कुल
01-04-2021 के अनुसार पुनर्निर्धारित शेष राशि	-	-	-2,106.10	-	-2,106.10
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	-	9.05	-	9.05
अंतिम लागत	-	-	-	-	-
अंतिम लागत	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में/से स्थानांतरण	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन (मुख्यालय में स्थानांतरण)	-	-	-	-	-
31.03.2022 तक शेष राशि	-	-	-2,097.05	-	-2,097.05

विवरण	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (फर का शुद्ध) - (ओसीआई)	कुल
01.04.2020 तक शेष राशि	-	-	-2,062.32	-	-2,062.32
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-43.78	-	-43.78
अंतिम लागत	-	-	-	-	-
अंतिम लागत	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में/से स्थानांतरण	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन (मुख्यालय में स्थानांतरण)	-	-	-	-	-
31.03.2021 तक शेष राशि	-	-	-2,106.10	-	-2,106.10

चोर्ड की ओर से संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

ह/-
(एम.आर मिश्रा)
सीएफओ

ह/-
(आर.वी.रिंगो)
सीईओ/निदेशक
डीआईएन- 9507096

ह/-
(के.आर वासुदेवन)
अध्यक्ष
डीआईएन- 7915732

सम तिथि की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
राजेश सराफ एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन:324121E
ह/-
सनदी लेखाकार राजेश सराफ
साझेदार
सदस्यता संख्या:059768

दिनांक : 26.04.2022
स्थान : संबलपुर

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी :1 कॉर्पोरेट जानकारी

एम.जे.एस.जे. कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमजेएसजेसीएल), एक सार्वजनिक उपक्रम है, जिसका मुख्यालय ओडिशा राज्य के अनगुल जिले में स्थित है, जिसे 13 अगस्त, 2008 को महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, ओडिशा की 60% सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।

यह कंपनी मुख्य रूप से कोयला खनन और उत्पादन का कार्य करती है। कंपनी विकासशील स्थिति में है। कंपनी की समूह संरचना को टिप्पणी संख्या-29 में दर्शाया गया है।

टिप्पणी 2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार

- i. कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") भारतीय लेखा मानक नियम, 2015 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखांकन मानक) के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- ii. वित्तीय विवरण को पूर्ववर्ती लागत मापन के आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय -
 - कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है (वित्तीय लिखतों की लेखांकन नीति को अनुच्छेद संख्या 2.14 में देखें);
 - परिभाषित लाभ योजनाएँ— उचित मूल्य पर मापी गई आस्तियां;
 - लागत पर माल सूचियां या एनआरवी जो भी कम हो। (अनुच्छेद संख्या 2.20 में लेखांकन नीति देखें)।

2.1.1 पूर्ण अंकों में राशि

इन वित्तीय विवरणों में राशियों को, जब तक कि अन्यथा इंगित न किया गया हो, दो दशमलव बिंदुओं तक 'लाख रुपये में' पूर्णांकित किया गया है।

2.2 चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण:

कंपनी चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब:

- क. यह सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्तियों की वसूली अथवा बिक्री अथवा इसके उपभोग की इच्छा रखती है।
- ख. यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से परिसंपत्तियों को रखती है;
- ग. यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर आस्ति के वसूली की अपेक्षा रखती है; अथवा

घ. परिसंपत्ति नकद या नकद समकक्ष है (जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 7 में परिभाषित किया गया है) जब तक कि परिसंपत्ति को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए या देयता के निपटान के लिए उपयोग किए जाने पर प्रतिबंध न लगा दिया गया हो। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी के द्वारा किसी देयता को चालू तब माना जाता है जब :

- क. यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपटान की अपेक्षा रखती है। ;
- ख. इसकी देयता मुख्य तौर पर व्यापार के लिए होती है।;
- ग. रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर देयता का निपटान किया जाना है; या
- घ. रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयता के निपटान को आस्थगित करने का कोई शर्तहीन अधिकार इसके पास नहीं है। एक दायित्व की शर्त, जो प्रतिपक्षकार के विकल्प पर, इक्विटी लिखतों के मुद्दे द्वारा इसके निपटान में परिणामित हो सकती हैं, इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3 राजस्व मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है, जब वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को उस राशि पर हस्तांतरित किया जाता है, जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की अपेक्षा करती है। कंपनी ने आम तौर पर यह निष्कर्ष निकाला है कि यह अपनी राजस्व व्यवस्था में प्रमुख है क्योंकि यह आम तौर पर ग्राहकों को स्थानांतरित करने से पहले वस्तुओं या सेवाओं को नियंत्रित करती है।

भारतीय लेखांकन मानक 115 के सिद्धांतों को निम्नलिखित पांच चरणों का उपयोग करके लागू किया जाता है:

चरण 1: अनुबंध की पहचान करना:

कंपनी किसी ग्राहक के साथ अनुबंध तभी करती है जब निम्नलिखित सभी मानदंड पूरे होते हैं:

- क. अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी है और अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं;
- ख. कंपनी हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में प्रत्येक पक्ष के अधिकारों की पहचान कर सकती है;
- ग. कंपनी हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान की शर्तों की पहचान कर सकती है;

- घ. अनुबंध में वाणिज्यिक पदार्थ है (यानी, कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह का जोखिम, समय या राशि अनुबंध के परिणामस्वरूप बदलने की उम्मीद है); तथा
- ङ. यह संभव है कि ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के बदले में कंपनी उस प्रतिफल को एकत्र करेगी जिसके लिए वह हकदार होगी। कंपनी जिस प्रतिफल की हकदार होगी, वह अनुबंध में बताई गई कीमत से कम हो सकती है, यदि प्रतिफल परिवर्तनशील है क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, छूट, धनवापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या प्रोत्साहन की हकदार हो सकती है, प्रदर्शन बोनस, या इसी तरह के मद।

अनुबंधों का संयोजन

कंपनी एक ही ग्राहक (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) के साथ एक ही समय में या उसके निकट किए गए दो या दो से अधिक अनुबंधों को जोड़ती है और अनुबंधों के लिए एक एकल अनुबंध के रूप में खाता होगा यदि निम्नलिखित में से एक या अधिक मानदंड पूरे हों:

- क. एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एकमुश्त में अनुबंध तय की जा सकती है;
- ख. एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली प्रतिफल की राशि दूसरे अनुबंध की कीमत या प्रदर्शन पर निर्भर करती है; या
- ग. अनुबंधों में तय किए गए वस्तुएं या सेवाएं (या प्रत्येक अनुबंध में तय किए गए कुछ वस्तुएं या सेवाएं) एक एकल प्रदर्शन दायित्व हैं।

अनुबंध संशोधन

कंपनी एक अनुबंध संशोधन के लिए एक अलग अनुबंध के रूप में उत्तरदायी है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें मौजूद हैं:

- क. तय किए गए वस्तुएं या सेवाओं, जो अलग हैं, को जोड़ने के कारण अनुबंध का दायरा बढ़ता है और
- ख. अनुबंध की कीमत प्रतिफल की राशि से बढ़ जाती है जो अतिरिक्त वादा किए गए सामान या सेवाओं की कंपनी की स्टैंड-अलोन बिक्री कीमतों को दर्शाती है और विशेष अनुबंध की परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए उस कीमत पर किसी भी उचित समायोजन को दर्शाती है।

चरण 2: प्रदर्शन दायित्वों की पहचान:

अनुबंध की शुरुआत में, कंपनी एक ग्राहक के साथ अनुबंध में तय किए गए वस्तुओं या सेवाओं का आकलन करती है और ग्राहक को हस्तांतरित करने के प्रत्येक वादे को एक प्रदर्शन दायित्व के रूप में पहचानती है:

- क. वस्तुओं या सेवाओं (वस्तुओं या सेवाओं का एक समूह) जो अलग हैं; या
ख. विशिष्ट वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक समान हैं और जिनका ग्राहक को हस्तांतरण का समान पैटर्न है।

चरण 3: लेन-देन मूल्य का निर्धारण

कंपनी लेन-देन की कीमत निर्धारित करने के लिए अनुबंध की शर्तों और इसकी प्रथागत व्यावसायिक प्रथाओं पर विचार करती है। लेन-देन मूल्य प्रतिफल की वह राशि है, तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को छोड़कर जिसके लिए कंपनी किसी ग्राहक को वादा किए गए वस्तुएं या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है। एक ग्राहक के साथ अनुबंध में तय किए गए प्रतिफल में निश्चित मात्रा, परिवर्तनीय राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

लेन-देन की कीमत निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित सभी के प्रभावों पर विचार करती है:

- परिवर्तनीय निर्णय
- परिवर्तनीय विचार के अनुमानों को सीमित करना;
- महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व;
- गैर-नकद प्रतिफल;
- एक ग्राहक को देय प्रतिफल।

बट्टा, छूट, प्रतिदाय, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या अन्य समान वस्तुओं के कारण प्रतिफल की राशि भिन्न हो सकती है। यदि कंपनी की प्रतिफल की पात्रता भविष्य की घटना के घटित होने या न होने पर विचार करती है तो तय किए गए प्रतिफल भी भिन्न हो सकता है।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के सार के अनुसार दंड की गणना की जाती है। जहां लेनदेन मूल्य के निर्धारण में दंड निहित है, यह परिवर्तनशील प्रतिफल का हिस्सा है।

कंपनी लेन-देन की कीमत में अनुमानित परिवर्तनीय प्रतिफल की कुछ या सभी राशि को केवल उस सीमा तक शामिल करती है, जिसकी अत्यधिक संभावना है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की राशि में एक महत्वपूर्ण उलटफेर तब नहीं होगा जब परिवर्तनशील प्रतिफल से जुड़ी अनिश्चितता बाद में हो।

कंपनी एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए तय की गई प्रतिबद्ध राशि को समायोजित नहीं करती है यदि वह अनुबंध की आरंभ में अपेक्षा करता है, कि उस अवधि के दौरान जब वह ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं हस्तांतरित करता है और जब ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करता है, तो वह अवधि एक वर्ष या उससे कम की हो।

यदि कंपनी किसी ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त करती है और ग्राहक को उस प्रतिफल में से कुछ या सभी को वापस करने की अपेक्षा करती है, तो कंपनी धनवापसी दायित्व को पहचानती है। एक धनवापसी देयता को प्राप्त (या प्राप्य) प्रतिफल की राशि पर मापा जाता है जिसके लिए कंपनी हकदार होने की

उम्मीद नहीं करती है (यानी, लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि)। धनवापसी देयता (और लेन-देन मूल्य में संबंधित परिवर्तन और इसलिए, अनुबंध देयता) परिस्थितियों में परिवर्तन के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अद्यतन की जाती है।

अनुबंध की स्थापना के बाद, लेन-देन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं का समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं, जो उस प्रतिफल की राशि को बदलते हैं जिसके लिए कंपनी तय किए गए वस्तु या सेवाओं के बदले हकदार होने की उम्मीद करती है।

चरण 4: लेन-देन मूल्य का आवंटन:

लेन-देन की कीमत आवंटित करते समय कंपनी के लिए प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व (या विशिष्ट अच्छी या सेवा) के लिए लेनदेन मूल्य आवंटित करना होता है, जो उस राशि को दर्शाता है जिस पर कंपनी को ग्राहक को दिए गए माल या सेवाएं हस्तांतरण के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है। ।

संबंधित स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करने के लिए कंपनी अनुबंध में प्रत्येक निष्पादन बाध्यता के आधार पर अलग वस्तुओं या सेवाओं के अनुबंध के प्रारंभ पर स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और उन स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्यों के अनुपात में लेन-देन मूल्य आवंटित करती है।

चरण 5: राजस्व की पहचान:

कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब (या के रूप में) कंपनी किसी ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करके एक प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है। एक वस्तु या सेवा को तब स्थानांतरित किया जाता है जब (या के रूप में) ग्राहक उस वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है।

कंपनी समय के साथ वस्तु या सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है और इसलिए, एक प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है और समय के साथ राजस्व को मान्यता देती है, यदि निम्न में से कोई एक मानदंड पूरा होता है:

- क. ग्राहक एक साथ कंपनी के प्रदर्शन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करता है और उपभोग करता है जैसा कि कंपनी करती है;
- ख. कंपनी का प्रदर्शन एक परिसंपत्ति बनाता है या बढ़ाता है जिसे ग्राहक नियंत्रित करता है क्योंकि संपत्ति बनाई या बढ़ाई जाती है;
- ग. कंपनी का प्रदर्शन कंपनी के वैकल्पिक उपयोग के साथ एक संपत्ति नहीं बनाता है और कंपनी के पास आज तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान करने का प्रवर्तनीय अधिकार है।

प्रत्येक निष्पादन बाध्यता को समय पर पूरा करने लिए, कंपनी उस निष्पादन बाध्यता की पूर्ण प्राप्ति की प्रगति को ध्यान में रखकर समय पर राजस्व को मान्यता देती है।

कंपनी समय पर पूर्ण प्रत्येक निष्पादन बाध्यता की प्रगति को आँकने के लिए एक पद्धति को लागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान निष्पादन बाध्यताओं और समान परिस्थितियों में हमेशा लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता की पूर्ण समाधान की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः आकलन करती है।

कंपनी अनुबंध के अंतर्गत तय किए गए शेष सामानों या सेवाओं के सापेक्ष ग्राहक को हस्तांतरित की गई वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष आकलन के आधार पर राजस्व मान्यता के लिए उत्पाद पद्धति लागू को करती है। उत्पाद पद्धति में आज तक पूर्ण किए गए निष्पादन सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, प्राप्त उपलब्धि, व्यतीत समय और उत्पादित इकाइयाँ या सुपुर्द इकाइयाँ जैसे पद्धतियाँ शामिल हैं।

जैसे-जैसे समय के साथ हालात बदलते हैं, कंपनी निष्पादन बाध्यता के परिणाम में किसी भी बदलाव को दर्शाने की प्रगति के अपने उपाय को अद्यतन करती है। कंपनी की प्रगति के आकलन में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखांकन मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।

कंपनी सिर्फ समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता के लिए राजस्व को मान्यता देती है, यदि जब कंपनी निष्पादन बाध्यता की पूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रगति का आकलन यथोचित रूप से करती है। जब (या जैसे) निष्पादन बाध्यता पूरा हो जाता है, तो कंपनी लेन-देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देती है जो कि परिवर्तनीय भुगतान के अनुमानों को शामिल नहीं करता है जो उस निष्पादन बाध्यता के लिए आवंटित होता है।

यदि निष्पादन बाध्यता समय पर पूरा नहीं होता तो कंपनी एक समय में निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए, जिस पर ग्राहक प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों को तय करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं हैं:

- क. कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का वर्तमान अधिकार है;
- ख. ग्राहक के पास वस्तु या सेवा का कानूनी हक होता है;
- ग. कंपनी ने वस्तु या सेवा का भौतिक कब्जा हस्तांतरित कर दिया है;
- घ. ग्राहक के पास वस्तु या सेवा के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार हैं;
- ङ. ग्राहक ने वस्तु या सेवा को स्वीकार कर लिया है।

जब अनुबंध के किसी भी पक्ष ने प्रदर्शन किया है, तो कंपनी, कंपनी के प्रदर्शन और ग्राहक के भुगतान के बीच संबंधों के आधार पर अनुबंध को अनुबंध संपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में तुलन पत्र में प्रस्तुत करती है। कंपनी प्राप्य के रूप में अलग से विचार करने के लिए कोई भी बिना शर्त अधिकार प्रस्तुत करती है।

अनुबंध संपत्ति:

एक अनुबंध परिसंपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में विचार करने का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक द्वारा विचार किए जाने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन करती है, तो एक अनुबंध परिसंपत्ति को अर्जित प्रतिफल के लिए मान्यता दी जाती है जो कि सशर्त है।

व्यापार प्राप्य

एक प्राप्य कंपनी के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है जो बिना शर्त है (यानी, विचार के भुगतान से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)।

अनुबंध देयताएं:

एक अनुबंध दायित्व एक ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त किया है (या प्रतिफल की राशि देय है)। यदि कोई ग्राहक कंपनी द्वारा ग्राहक को माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने से पहले प्रतिफल का भुगतान करता है, तो भुगतान किए जाने या देय होने पर (जो भी पहले हो) अनुबंध दायित्व को मान्यता दी जाती है। जब कंपनी अनुबंध के तहत प्रदर्शन करती है तो अनुबंध देनदारियों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

ब्याज

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय की पहचान की जाती है।

लाभांश

भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

अन्य दावे

अन्य दावों (ग्राहकों से देरी से वसूली पर ब्याज सहित) का हिसाब तब लिया जाता है, जब वसूली की निश्चितता होती है और इसे मज़बूती से मापा जा सकता है।

2.4 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि उचित आश्वासन न हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और उचित निश्चितता है कि अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदानों को उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी उन संबंधित लागतों के खर्चों के रूप में पहचान करती है जिनके लिए अनुदान की भरपाई करने का इरादा है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में अनुदान की स्थापना करके तुलन पत्र में प्रस्तुत किया जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

आय से संबंधित अनुदान (अर्थात् संपत्ति के अलावा अन्य अनुदान) को 'अन्य आय' शीर्ष के तहत लाभ और हानि के विवरण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

एक सरकारी अनुदान/सहायता जो पहले से किए गए खर्चों या हानियों के मुआवजे के रूप में या भविष्य से संबंधित लागतों के बिना कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्य हो जाती है, को उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें यह प्राप्य हो जाता है।

सरकारी अनुदान या संवर्धक योगदान का सीधा संबंध "पूँजीगत कोष" से है जिसे दी जानी चाहिए, जो "शेयरधारक निधि" का हिस्सा है।

2.5 पट्टे

एक अनुबंध एक पट्टा होता है, यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

2.5.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी

प्रारंभ तिथि पर, एक पट्टेदार लागत पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति और पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता को मान्यता देगा जो उस तिथि पर सभी पट्टों के लिए भुगतान नहीं किया जाता है जब तक कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम न हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो।

तत्पश्चात्, उपयोग के अधिकार की संपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि पट्टा देयता को उस पर लिए गए ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि में वृद्धि करके, पट्टा भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को घटाकर पुनर्मूल्यांकन या पट्टे में संशोधन को दर्शाने के लिए वहन राशि को पुनरांकित कर मापा जाता है।

वित्त प्रभारों को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागतों में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागतों को अन्य लागू मानकों को लागू करने वाली किसी अन्य परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल नहीं किया जाता है। संपत्ति के उपयोगी जीवन पर उपयोग के अधिकार का मूल्यहास किया जाता है, यदि पट्टा, पट्टे की अवधि के अंत तक संपत्ति के स्वामित्व को पट्टेदार को हस्तांतरित करता है या यदि उपयोग के अधिकार की संपत्ति की लागत दर्शाती है कि पट्टेदार खरीद विकल्प का प्रयोग करेंगे। अन्यथा, पट्टेदार उपयोग-से-उपयोग की संपत्ति का मूल्यहास प्रारंभ तिथि से उपयोग के अधिकार की संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टे की अवधि के अंत तक करेगा।

2.5.2 पट्टेदाता के रूप में कंपनी

सभी पट्टे या तो एक परिचालन पट्टे या एक वित्त पट्टे के रूप में हैं।

एक पट्टे को एक वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है। एक पट्टे को एक परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है

परिचालन पट्टा - परिचालन पट्टा से पट्टा भुगतान को स्ट्रेट लाइन आधार पर आय के रूप में दर्शाया जाता है जब तक कि एक अन्य व्यवस्थित आधार उस पैटर्न से अधिक प्रदर्शक न हो, जिसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग से लाभ कम हो जाता है।

वित्तीय पट्टा- एक वित्त पट्टे के तहत रखी गई संपत्ति को शुरू में इसकी तुलना पत्र में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश को मापने के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर उन्हें प्राप्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

2.6 बिक्री हेतु गैर-चालू संपत्ति

यदि इनकी कुल राशि निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से पुनर्प्राप्त की गई हो तो कंपनी गैर चालू संपत्तियों (या निपटान समूह) को वर्गीकृत एवं बिक्री हेतु आयोजित करती है। विक्रय को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाओं में, बिक्री में महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना न होने एवं बिक्री हेतु वापस लिए गए निर्णय का संकेत होना चाहिए। प्रबंधन वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित विक्रय करने हेतु प्रतिबद्ध है।

जब विनिमय में वाणिज्यिक सार होता है तब इन उद्देश्य के लिए यह बिक्री लेनदेन में अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों के लिए अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों के आदान-प्रदान को भी शामिल किया जाता है। विक्रय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब तक ही माना जाता है जब तक कि संपत्ति या निपटान समूह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत है, इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है और इसे वास्तव में बेचा जाएगा पर उसका त्याग नहीं किया जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति या निपटान समूह की बिक्री को अत्यधिक संभावित मानती है जब:

- प्रबंधन का उपयुक्त स्तर परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध हो,
- एक खरीदार का पता लगाने और योजना को पूरा करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया हो।
- परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बिक्री के लिए सक्रिय रूप से उस कीमत पर विपणन किया जा रहा हो, जो इसके वर्तमान उचित मूल्य के संबंध में उचित हो,

- > बिक्री को वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने की उम्मीद हो, और
- > योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों से संकेत मिलता हो कि यह संभावना नहीं है कि योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

2.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई):

भूमि की खरीदी ऐतिहासिक कीमत पर किया जाता है। ऐतिहासिक लागत में वे व्यय शामिल होते हैं जो भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होते हैं जैसे पुनर्वास व्यय, पुनर्वास लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए किए गए रोजगार के बदले मुआवजा आदि।

मान्यता के पश्चात, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मर्दों को लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित मूल्यह्रास को घटाकर उसकी लागत पर ले जाया जाता है। किसी भी संपत्ति, संयंत्र तथा उसके उपकरण में निम्नलिखित तथ्य शामिल हैं :

- क) व्यापार छूट में मिले कटौती के बाद इनका क्रय मूल्य जिसमें निर्यात शुल्क तथा गैर-वापसी क्रय शुल्क शामिल हो।
- ख) स्थान तक संपत्ति को लाने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष व्यय/सामयिक व्यय तथा प्रबंधन द्वारा क्षमतानुसार परिचालन के लिए उठाया गया अत्यावश्यक कदम।
- ग) वह दायित्व जिसके लिए कंपनी या तो उस समय वहन करती है जब वस्तु का अधिग्रहण किया जाता है या उस अवधि के दौरान वस्तु सूची के उत्पादन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किसी विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग करने के परिणामस्वरूप वस्तु को हटाने और हटाने और बहाल करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान होता है, जिस साइट पर यह स्थित है।

मद की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का प्रत्येक भाग, एक लागत के साथ जो अलग से मूल्यह्रास की गई वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है। हालांकि, समान उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास पद्धति वाले पीपीई के एक मद के महत्वपूर्ण हिस्से को मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने में एक साथ समूहीकृत किया जाता है।

'मरम्मत और रखरखाव' के रूप में वर्णित दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागतों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है जिसमें वह खर्च किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण भागों को बदलने के बाद की लागत को मद की वहन राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभव है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे; और वस्तु की लागत को मजबूती से मापा जा सकता है। उन पुर्जों की वहन राशि जिन्हें प्रतिस्थापित किया गया है, उन्हें नीचे उल्लिखित मान्यता रद्द करने की नीति के अनुसार अमान्य कर दिया गया है।

जब प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तो इसकी लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद की वहन राशि में एक प्रतिस्थापन के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संभव है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे; और वस्तु की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत की किसी भी शेष वहन राशि को अमान्य कर दिया गया है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण की एक वस्तु को निपटान पर या संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होने पर अमान्य कर दिया जाता है। संपत्ति संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की ऐसी मान्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास, फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर लागत मॉडल के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

अन्य भूमि

(पट्टे की भूमि सहित): परियोजना की अवधि या पट्टे की अवधि जो भी कम हो

भवन	: 3-60 वर्ष
सड़कें	: 3-10 वर्ष
दूरसंचार	: 3-9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	: 15 वर्ष
संयंत्र और उपकरण	: 5-30 वर्ष
कंप्यूटर और लैपटॉप	: 3 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	: 3-6 वर्ष
फ़र्निचर व फिक्सचर	: 10 वर्ष
वाहन	: 8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिया गया उपयोगी जीवन उस अवधि का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है जिस पर प्रबंधन परिसंपत्ति का उपयोग करने की अपेक्षा करता है। इसलिए संपत्ति का उपयोगी जीवन कंपनी के अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अवशिष्ट मूल्य को संपत्ति की मूल लागत का 5% माना जाता है, सिवाय कुछ मदों जैसे,

कोयला टब, घुमावदार रस्सियों, ढुलाई रस्सियों, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैंप आदि को छोड़कर, जिसके लिए तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन एक वर्ष के साथ शून्य अवशिष्ट मूल्य के रूप में निर्धारित की जाती है।

वर्ष के दौरान जोड़ी गई/निपटान की गई संपत्ति पर मूल्यहास अतिरिक्त/निपटान के महीने के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम 1957 के तहत "अन्य भूमि" का मूल्य अधिग्रहित भूमि के रूप में शामिल है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत मुआवजा, पारदर्शिता के अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम 2013 के तहत सरकारी भूमि के दीर्घकालीन हस्तांतरण आदि शामिल है, जो कि परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होते हैं और पट्टेकृत भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन पट्टे की अवधि पर आधारित होते हैं या इनमें से जो भी कम हो, के तहत परियोजना के शेष राशि पर आधारित होते हैं।

पूरी तरह से मूल्यहास संपत्ति, सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त, संपत्ति, संयंत्र उपकरण के तहत अपने अवशिष्ट मूल्य पर सर्वेक्षण की गई संपत्ति के रूप में अलग से प्रकट की जाती है और हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

कंपनी द्वारा कुछ संपत्तियों के निर्माण/विकास पर किए गए पूंजीगत व्यय जो उत्पादन, माल की आपूर्ति या कंपनी की किसी भी मौजूदा संपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक हैं, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत सक्षम संपत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं।

भारतीय लेखा मानक का परिवर्तनकाल

कंपनी ने लागत मॉडल के अनुसार वहन मूल्य चुना है (इसकी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए जैसा कि वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त है, जैसा कि पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया है)।

2.8 बंदी, कार्यस्थल का जीर्णोद्धार एवं डिक्लीयरिंग बाध्यताएँ

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के निषेध के लिए कंपनी के कार्य में भू-तल एवं भूमिगत दोनों प्रकार के खदानों पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार होने वाले खर्च सम्मिलित है। कंपनी खदान बंदी क्षेत्र की मरम्मत एवं निषेध कार्य का आंकलन से संबंधित कार्य पर भविष्य में होने वाली नगद खर्च एवं उस पर लगने वाले खर्च का विस्तृत लेखा जोखा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार उपलब्ध करायी जाती है। खर्च के आंकलन मुद्रा स्फीति के अनुसार बढ़ते हैं एवं इसकी दर कम होने पर घटती है, जो मुद्रा और जोखिमों के समय मूल्य के वर्तमान बाजार के मूल्यांकन को सूचित करती है। यथा प्रावधान में वर्णित कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अनुमानित खर्च के वर्तमान मूल्य को सूचित किया जाता है। कंपनी सुधार एवं खदान बंदी के समापन के देय धन से संलग्न संपत्ति का लेखा जोखा रखती है। कार्य तथा संपत्ति देयधन को खर्च होने की समयावधि में मान्यता प्राप्त होती है। क्षेत्र के मरम्मत के समस्त मूल्य को सूचित करने वाली संपत्ति (केंद्रीय खनन योजना एवं रचना संस्थान समिति के आंकलन के अनुसार) खदान बंदी योजना के अनुसार पीपीई में एक भिन्न वस्तुओं के रूप में जानी जाएगी तथा शेष परियोजना खदान के जीवनकाल के आधार पर परिशोधित होगी।

रियायत का प्रभाव खत्म होते ही समय के साथ प्रावधान का मूल्य उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, एक खर्च के रूप में इसे वित्तीय खर्च माना जाता है।

इसके अलावा, अनुमोदित खदान बंद करने की योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट एस्करो फंड खाता बनाए रखा जाता है।

कुल खदान बंद करने की बाध्यता का हिस्सा बनने के लिए वर्ष-दर-वर्ष प्रगतिशील खनन बंद के खर्चों को शुरू में आधार पर एस्करो खाते से प्राप्त किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष के दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद राशि वापस ले ली जाती है।

2.9 अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति

अन्वेषित तथा मूल्यांकित आस्तियां में पूंजीगत लागत शामिल होती है जो कि कोयला और संबन्धित संसाधनों की खोज के कारण उत्पन्न होती है। तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और पहचान वाले संसाधन की व्यावसायिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन निम्न बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है:

- समन्वेषण के अधिकारों का अधिग्रहण;
- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा का शोध और विश्लेषण;
- स्थलाकृतिक, भू-रासायनिक और भूभौतिकीय अध्ययनों के माध्यम से खोजपूर्ण डेटा एकत्र करना;
- खोजपूर्ण ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग और सैंपलिंग;
- संसाधन की मात्रा और ग्रेड का निर्धारण और जांच करना;
- परिवहन और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना;
- बाजार और वित्त अध्ययन आयोजित करना।

उपरोक्त में कर्मचारी पारिश्रमिक, सामग्री और उपयोग किए गए ईंधन की लागत, ठेकेदारों को भुगतान आदि शामिल हैं।

चूंकि अमूर्त घटक समग्र अपेक्षित मूल्य लागतों के एक नगण्य/अभेद्य हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भविष्य के शोषण से वसूल किया जाता है, इन लागतों को अन्य पूंजीकृत अन्वेषण लागतों के साथ अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है।

अन्वेषण और मूल्यांकन लागतों को परियोजना-दर-परियोजना आधार पर पूंजीकृत किया जाता है, जो परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता और व्यावसायिक व्यवहार्यता का निर्धारण लंबित है और गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत एक अलग लाइन आइटम के रूप में प्रकट किया गया है। बाद में उन्हें लागत कम संचित हानि/प्रावधान पर मापा जाता है।

एक बार प्रमाणित भंडार निर्धारित हो जाने और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी मिलने के बाद, अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत "विकास" में स्थानांतरित कर दिया जाता है। हालांकि, अगर साबित भंडार निर्धारित नहीं किया जाता है, तो अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

2.10 विकास व्यय

जब सिद्ध भंडार का निर्धारण किया जाता है और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी दी जाती है, पूंजीकृत अन्वेषण और मूल्यांकन लागत को निर्माणाधीन संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है और "विकास" शीर्षक के तहत प्रगति पर पूंजीगत कार्य के एक घटक के रूप में खुलासा किया जाता है। बाद के सभी विकास व्यय भी पूंजीकृत हैं। पूंजीकृत विकास व्यय विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त आय का शुद्ध है।

वाणिज्यिक संचालन

परियोजना/खानों को राजस्व में तब लाया जाता है; जब किसी परियोजना/खान की स्थायी आधार पर उत्पादन के लिए व्यावसायिक तैयारी या तो परियोजना रिपोर्ट में विशेष रूप से बताई गई शर्तों के आधार पर या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है:

- क. वित्तीय वर्ष की शुरुआत से उस वर्ष के तुरंत बाद जिसमें परियोजना अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित क्षमता का 25% भौतिक उत्पादन प्राप्त करती है, या
- ख. कोयले के 2 साल के उत्पादन, या
- ग. वित्तीय वर्ष की शुरुआत से जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल व्यय से अधिक है।

उपर्युक्त में जो भी पहले घटित हो;

राजस्व में लाए जाने पर, पूंजीगत कार्य के तहत चल रही संपत्ति को "अन्य खनन अवसंरचना" नाम के तहत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन अवसंरचना का परिशोधन उस वर्ष से किया जाता है जब खदान को 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाया जाता है या परियोजना का कामकाजी जीवन जो भी कम हो।

2.11 अमूर्त संपत्तियां

अर्जित की गई अमूर्त संपत्ति को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है। एक व्यापार संयोजन में अर्जित अमूर्त संपत्ति की लागत अधिग्रहण की तारीख में उनका उचित मूल्य है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्ति को किसी भी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी कार्यकाल में प्रत्यक्ष आधार पर गणना की जाती है) और संचित हानि यदि कोई हो, पर खर्च किए जाते हैं।

पूंजीकृत विकास लागतों को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त, पूंजीकृत नहीं हैं। इसके बजाय, संबंधित व्यय को उस अवधि में लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त संपत्ति के उपयोगी जीवन का आकलन या तो परिमित या अनिश्चित के रूप में किया जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है और जब भी कोई संकेत मिलता है कि अमूर्त संपत्ति खराब हो

सकती हैं, तो हानि के लिए मूल्यांकन किया जाता है। परिशोधन अवधि और परिमित उपयोगी जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति के लिए परिशोधन पद्धति की कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन में परिवर्तन या परिसंपत्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों की खपत के अपेक्षित पैटर्न को परिशोधन अवधि या विधि को उपयुक्त के रूप में संशोधित करने के लिए माना जाता है, और इसे लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

अनिश्चित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त संपत्ति का परिशोधन नहीं किया जाता है, लेकिन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

एक अमूर्त संपत्ति की गैर-मान्यता से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

हालांकि, बिक्री के लिए पहचाने गए या बाहरी एजेंसियों को बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के कारण अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां (यानी, सीआईएल के लिए चिह्नित नहीं किए गए ब्लॉक के लिए) को अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और हानि के लिए परीक्षण किया गया है।

सॉफ्टवेयर की लागत को अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है, उपयोग करने हेतु कानूनी अधिकार की अवधि में प्रत्यक्ष रूप से या तीन साल से कम, इनमें से जो भी कम हो, को एक शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ परिशोधित किया जाता है।

अनुसंधान और विकास को व्यय होने पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.12 संपत्ति की हानि (वित्तीय संपत्ति के अतिरिक्त)

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल्यांकन करती है कि क्या कोई संकेत है कि एक परिसंपत्ति खराब हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि या नकदी-उत्पादक इकाई के मूल्य से अधिक है और इसका उचित मूल्य निपटान की लागत कम है, और एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कि उन लोगों से काफी हद तक स्वतंत्र हैं, अन्य संपत्तियां या संपत्तियों के समूह, जिस स्थिति में वसूली योग्य राशि का निर्धारण उस नकदी-उत्पादक इकाई के लिए किया जाता है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग नकद उत्पादन इकाइयों के रूप में मानती है।

यदि किसी संपत्ति की वसूली योग्य राशि उसकी अग्रणीत राशि से कम होने का अनुमान लगाया जाता है, तो संपत्ति की अग्रणीत राशि को उसकी वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है और नुकसान को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

2.13 निवेश संपत्ति

संपत्ति (भूमि या भवन या भवन का हिस्सा या दोनों) किराए पर या पूंजीगत प्रशंसा या दोनों के लिए, उत्पादन या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के बजाय; या व्यवसायों के सामान्य क्रम में बिक्री को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निवेश संपत्ति को शुरू में इसकी लागत पर मापा जाता है, जिसमें संबंधित लेनदेन लागत और जहां लागू उधार लागत शामिल है।

निवेश संपत्तियों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर आधारित पद्धति का उपयोग करके मूल्यह्रास किया जाता है।

2.14 वित्तीय प्रपत्र

एक वित्तीय साधन वह अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन प्रदान करता है।

2.14.1 वित्तीय संपत्तियां

2.14.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय आस्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, साथ ही लेनदेन लागत जो वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री जिसके लिए बाजार स्थान (नियमित तरीके से व्यापार) में विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की डिलीवरी की आवश्यकता होती है, को व्यापार तिथि पर मान्यता दी जाती है, अर्थात्, जिस तारीख को कंपनी संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध होती है।

2.14.2 अनुवर्ती माप

अनुवर्ती माप के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय संपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधन लागत पर ऋण लिखत
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत।
- लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत, डेरिवेटिव और इक्विटी लिखत।
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया इक्विटी उपकरण।

2.14.2.1 परिशोधन लागत पर ऋण लिखत

एक 'ऋण साधन' को परिशोधन लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

- क. परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए संपत्ति रखना है, और
- ख. परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं जो बकाया मूलधन पर केवल मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान हैं।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम या शुल्क और लागत जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है, को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है।

2.14.2.2 एफवीटीओसीआई पर ऋण लिखत

एक 'ऋण साधन' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं:

- क. व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर दोनों को प्राप्त किया जाता है, और
- ख. परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण लिखतों को आरंभ में और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलन को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त है। हालांकि, कंपनी पी एंड एल में ब्याज आय, हानि और उत्क्रमण और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचानती है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से पी एंड एल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण लिखत रखने के दौरान अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.14.2.3 एफवीटीपीएल पर ऋण लिखत

एफवीटीपीएल ऋण लिखतों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधन लागत पर या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी एक ऋण साधन को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई मानदंड को पूरा करता है, जैसा कि एफवीटीपीएल में है। हालांकि, इस तरह के चुनाव की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ऐसा करने से माप या मान्यता विसंगति कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है (जिसे 'लेखा बेमेल' कहा जाता है)। कंपनी ने एफवीटीपीएल के रूप में कोई ऋण लिखत निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण लिखतों को पीएंडएल में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.14.2.4 सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 101 (भारतीय लेखांकन मानक में प्रथम बार अंगीकरण) के अनुसार, परिवर्तन की तारीख को पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की अग्रणीत राशि को मानित लागत माना जाता है। इसके बाद सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के मामले में, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश का लेखा इक्विटी पद्धति के अनुसार किया जाता है जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 28 के अनुच्छेद 10 में निर्धारित है।

2.14.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में अन्य सभी इक्विटी निवेशों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी लिखतों के लिए, कंपनी अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने के लिए उचित मूल्य में बाद में होने वाले परिवर्तनों के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। कंपनी ऐसे चुनाव इंस्ट्रूमेंट बाय-इंस्ट्रूमेंट के आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया गया है और अपरिवर्तनीय है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया गया है और अपरिवर्तनीय है।

यदि कंपनी एफवीटीओसीआई के रूप में एक इक्विटी साधन को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है, तो लाभांश को छोड़कर, लिखत पर सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से पी एंड एल तक की राशि का पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालाँकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी लिखतों को पी एंड एल में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.14.2.6 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, एक वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का हिस्सा) को प्राथमिक रूप से अमान्य कर दिया जाता है (यानी, तुलन पत्र से हटा दिया जाता है) जब:

- परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हों, या
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया हो या एक 'पास-थू' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को भौतिक देरी के बिना प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण किया हो; और या तो (क) कंपनी ने परिसंपत्ति

के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया हो, या (ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया हो और न ही बरकरार रखा हो, लेकिन संपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया हो।

जब कंपनी ने किसी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या पास-थू व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि क्या और किस हद तक उसने स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है। जब इसने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित किया है, कंपनी कंपनी की निरंतर भागीदारी की सीमा तक हस्तांतरित संपत्ति को पहचानना जारी रखती है। उस मामले में, कंपनी एक संबद्ध दायित्व को भी पहचानती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति और संबंधित देयता को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी द्वारा बनाए गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है। हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का रूप लेने वाली निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल वहन राशि के निचले हिस्से में मापा जाता है और अधिकतम राशि जिसे कंपनी को चुकाने की आवश्यकता हो सकती है।

2.14.2.7 वित्तीय संपत्तियों की हानि (वास्तविक मूल्यों के अतिरिक्त)

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और क्रेडिट जोखिम जोखिम पर हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:

- क. वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं, और परिशोधन लागत पर मापी जाती हैं जैसे उधार, ऋण प्रतिभूति, जमा, व्यापार प्राप्त्य एवं बैंक शेष।
- ख. वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं और जिन्हें एफवीटीओसीआई के रूप में मापा जाता है।
- ग. भारतीय लेखांकन मानक 17 के तहत पट्टा प्राप्त्य।
- घ. व्यापार प्राप्त्य या नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो कि भारतीय लेखांकन मानक 115 के दायरे में लेनदेन के परिणामस्वरूप होता है।

कंपनी निम्नलिखित पर हानि हानि भत्ते की पहचान के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का अनुसरण करती है:

- व्यापार प्राप्त्य या अनुबंध राजस्व प्राप्तियां; तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 17 के दायरे में लेनदेन के परिणामस्वरूप सभी पट्टा प्राप्त्य।

सरलीकृत दृष्टिकोण के आवेदन के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, इसकी प्रारंभिक मान्यता से ही, आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि भत्ता को मान्यता देता है।

2.14.3 वित्तीय देयताएं

2.14.3.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में बैंक ओवरड्राफ्ट सहित व्यापार और अन्य देय, ऋण और उधार शामिल हैं।

ऋण और उधार के मामले में तथा विशेषकर लेनदेन की लागतों पर शुद्ध भुगतान करने हेतु वित्तीय देयताएँ प्रारम्भिक स्तर पर उचित मूल्य में दर्शायी जाती हैं।

2.14.3.2 आगामी माप

वित्तीय देनदारियों की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

2.14.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में व्यापार के लिए धारित वित्तीय देनदारियां और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय साधन भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 109 द्वारा परिभाषित हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं किया गया है। अलग-अलग एम्बेडेड डेरिवेटिव्स को भी ट्रेडिंग के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखी गई देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय देयताओं को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज किया गया है, जैसा कि मान्यता की प्रारम्भिक तिथि पर नामित है तथा सिर्फ तब ही जब भारतीय लेखांकन मानक 109 के मानदंड संतुष्टीजनक पाये जाते हैं। एफवीटीपीएल में नामित देयताओं के निष्पक्ष मूल्य पर लाभ/हानि जो कि जोखिम ऋण में परिवर्तन के कारण है तथा इसे ओसीआई में मान्यता प्राप्त है। इन लाभ-हानियों को बाद में पी एंड एल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। सम इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयताओं को उचित मूल्य पर अन्य सभी परिवर्तनों के साथ लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। कंपनी ने लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देयताओं को नामित नहीं किया है।

2.14.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारम्भिक मान्यता के पश्चात, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर अनुवर्ती मापन किया जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आंकलन अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार लेने पर लागू होती है।

2.14.3.5 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय देयता की मान्यता को तब वापस लिया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त हो गया हो। जब वित्तीय देयताओं को समान ऋणदाता के साथ विभिन्न शर्तों पर पुनःप्रतिस्थापित किया जाता है तब यह मौजूदा देयताओं के शर्तों को संशोधित करेगा, तत्पश्चात इस तरह के एक विनियम या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता और एक नई देयता की पहचान के रूप में माना जाएगा। किसी अन्य पार्टी को समझाए गए या हस्तांतरित किये गये वित्तीय लेनदेन राशि और उसमें से किसी भी हस्तांतरित परिसंपत्तियों या दायित्वों सहित भुगतान किए गए विचारों को लाभ व हानि के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

2.14.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय संपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय आस्तियां जो कि इक्विटी साधन एवं वित्तीय देयताएं हैं उसे पुनःवर्गीकृत किया जाएगा। वित्तीय देयताएं वे ऋण साधन हैं जिनका पुनःवर्गीकरण सिर्फ तभी किया जा सकता है जब उनके व्यावसायिक मॉडल की परिसंपत्तियों में बदलाव किया जाए। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन आंतरिक और बाह्य बदलाव के परिणामस्वरूप व्यापार मॉडल में परिवर्तन करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं और बाहरी पार्टियों के लिए स्वतः स्पष्ट है। व्यापार मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कंपनी महत्वपूर्ण संचालन हेतु कार्य को प्रारंभ या समाप्त करती है। कंपनी वित्तीय आस्ति को पुनः पेश करती है या पुनःवर्गीकृत करती है, जो कि व्यापार मॉडल में बदलाव के तुरंत बाद आगामी प्रतिवेदन का पहला दिन समझा जाता है। कंपनी पहले से स्वीकृत किसी लाभ हानि (लाभ व हानि में कमी सहित) या ब्याज को पुनःवर्णित नहीं करती है।

निम्न तालिका विभिन्न पुनर्वर्गीकरण और उनका हिसाब कैसे लगाया जाता है को दर्शाती है

वास्तविक वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन विधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुनःवर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पी एंड एल के रूप में पहचाना जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनःवर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती है। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुनः वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में पहचाना जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप आस्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीपीएल	आस्तियां उचित मूल्य पर ही मापी जाएंगी। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुनः जमा करने की तिथि में पी एंड एल के रूप वर्गीकृत किया गया।

2.14.5 वित्तीय साधनों की भरपाई

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को पूरा किया जाता है और समेकित तुलन पत्र में शुद्ध राशि की सूचना दी जाती है यदि मान्यता प्राप्त राशियों को पूरा करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार हो और शुद्ध आधार पर निपटान करने, परिसंपत्तियों की वसूली और देनदारियों को एक साथ निपटाने का इरादा हो।

2.14.6 नकद और नकद समकक्ष

तुलन पत्र में नकद और नकद समकक्ष में बैंकों और हाथ में नकद और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद समकक्षों में नकद और अल्पकालिक जमा, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध शामिल हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

2.15 उधार लागत

उधार लेने की विशिष्ट लागत के रूप में और जबवह अधिग्रहण निर्माण या आस्तियों का उत्पादन करने के लिए सीधे रूप से जुड़े हुए हो, तोउसे छोड़कर खर्च किया जा सकता है, जो संपत्ति अपने उपयोग के लिए पर्याप्त अवधि लेती है उस स्थिति में उन्हें उन तारीखों तक आस्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में पंजीकृत तब तक किया जा सकता है जब तक कि संपत्ति उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती है।

2.16 कर निर्धारण

आयकर व्यय वर्तमान में देय और आस्थगित कर के योग का प्रतिनिधित्व करता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) आयकर की राशि है। कर योग्य लाभ "आयकर से पहले लाभ" से भिन्न होता है जैसा कि लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में बताया गया है क्योंकि इसमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और इसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित की गई हैं।

आस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर आस्तियों को आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी संपत्ति और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थायी अंतर सद्भावना से या अन्य परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता (व्यापार संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ और न ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है।

आस्थगित कर देनदारियों को सहायक कंपनियों और सहयोगियों में निवेश से जुड़े कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जहां कंपनी अस्थायी अंतर के उत्क्रमण को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभव है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में उलट नहीं होगा।

इस तरह के निवेश और हितों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी अंतर से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर संपत्ति को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि अस्थायी अंतर के लाभों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि संपत्ति के सभी या हिस्से को वसूल करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर आस्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित हो गया है कि सभी या आस्थगित कर संपत्ति के हिस्से को वसूल करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर संपत्तियों और देयताओं को कर दरों पर मापा जाता है और इसे उस अवधि में लागू करने की अपेक्षा भी की जाती है, जिससे कि कर दरों (तथा कर कानून) पर आधारित देयताओं व आस्तियों का निपटारा किया जा सके। इसे रिपोर्टिंग तिथि के अंत तक लागू या मूल रूप से अधिनियमित किया जाता है।

आस्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों की माप उसके कर परिणामों को दर्शाती है, जो इस रीति का अनुसरण करती है जिसमें कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों और देयताओं की संख्या को व्यवस्थित करने की उम्मीद होती है।

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय जब वे अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित होते हैं, इस मामले में, वर्तमान और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है। जहां वर्तमान कर या आस्थगित कर व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.17 कर्मचारी हितलाभ

2.17.1 अल्पकालिक लाभ

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

2.17.2 रोजगार के बाद के लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.17.2.1 परिभाषित योगदान योजनाएं

भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए पारिभाषित योगदान योजनाएं जो कि रोजगार पश्चात् प्राप्त होने वाली लाभ योजनाएं हैं, जिसके अंतर्गत कंपनी कानून के अधिनियमन के तहत गठित एक अलग सांविधिक निकाय द्वारा रखी गई निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास

आगे की राशियों के भुगतान हेतु कोई भी कानून एवं रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अवधि के दौरान लाभ और हानि के बयान में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

2.17.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ योजनाएं एक परिभाषित योगदान योजनाओं के अलावा एक अन्य रोजगार लाभ योजनाएं भी हैं। उपदान, छुट्टी भुगतान आदि परिभाषित लाभ योजनाएं हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी की शुद्ध दायित्वों को भविष्य लाभ राशियों के तहत आकलन करके गणना की जाती है, जिसे कर्मचारियों ने अपने सेवा के बदले वर्तमान और पूर्व की अवधि में अर्जित किया है। लाभ में रियायत अपने वर्तमान मूल्य को लेकर किया जाता है तथा संपत्तियों के उचित मूल्य के द्वारा उसे हटाया भी जाता है, इनमें से जो भी उचित हो, के द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है। छूट की दर जो कि वर्तमान समय में कंपनी के दायित्वों में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत परिपक्व होने वाली रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों की मौजूदा बाजार पर आधारित होती है और यह एक ही मुद्रा में अंकित होगी, जिसमें लाभ का भुगतान करने की अपेक्षा होती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोग में छूट दर के बारे में धारणाएं आस्तियों पर अपेक्षित वसूल किए गए भावी दर, वेतन वृद्धि दर तथा नैतिकता दर आदि के अंतर्गत शामिल होती हैं। इस तरह के अनुमान इन योजनाओं की दीर्घावधि के कारण अनिश्चितताओं के अधीन हैं। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग कर प्रत्येक तुलनपत्र पर अंकित होती हैं जिनकी गणना बीमांकिक द्वारा की जाती है। जब गणना समूह के हित में हों, तो भविष्य में योजना के योगदान में कमी या योजना से धन वापसी के रूप में आर्थिक लाभों में स्वीकृत आस्तियों का उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर सीमित किया जाता है। यदि योजना देयतायां के समाधान पर या योजना के दौरान वसूली योग्य हो तो कंपनी को आर्थिक लाभ उपलब्ध होगा।

कुल परिभाषित देयताओं का पुनः माप किया जाता है जिसमें आस्ति योजना (ब्याज छोड़कर) पर वसूली को ध्यान में लेते हुए बीमांकिक लाभ व हानि को शामिल किया गया हो तथा आस्तियों (ब्याज छोड़कर यदि कोई हो) का प्रभाव अन्य व्यापक आय में तुरंत स्वीकार किया जाता है। कंपनी निर्धारित अवधि के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों को मापने एवं उपयोग होने वाली छूट दर को लागू करने के लिए शुद्ध परिभाषित लाभ देयताओं (आस्ति) पर शुद्ध ब्याज (आय) निर्धारित करती है। इसके बाद वार्षिक अवधि के दौरान परिभाषित लाभ देयताएं (आस्ति) योगदान और लाभ भुगतान के परिणामों के फलस्वरूप प्राप्त परिभाषित लाभ देयताओं के अंतर्गत आस्तियों में परिवर्तन करती है।

पारिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित कुल ब्याज खर्च एवं अन्य खर्चों को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाता है। जब योजना से प्राप्त लाभों में बढ़ोतरी की जाती है तब कर्मचारियों द्वारा पिछले सेवा से संबंधित बढ़ाये गए लाभों को लाभ व हानि विवरण में खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

2.17.3 अन्य कर्मचारी लाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ जैसे एलटीए, एलटीसी, जीवन बीमा योजना, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, निपटान भत्ता, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना और खदान दुर्घटनाओं में मृतक के आश्रितों को मुआवजा आदि पारिभाषित लाभ योजना पर मान्यता प्राप्त हैं। इन लाभों में विशिष्ट धन नहीं है।

2.18 विदेशी मुद्रा

कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा और इसके अधिकांश संचालन के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपये में है जो उस आर्थिक वातावरण की प्रमुख मुद्रा है जिसमें वह संचालित होती है।

लेन-देन की तारीख में प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर अनुवादित किया जाता है। मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों के निपटान पर या मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों के उन दरों से भिन्न दरों पर अनुवाद करने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जिन पर उन्हें अवधि के दौरान प्रारंभिक मान्यता पर या पिछले वित्तीय विवरणों में अनुवादित किया गया था, अवधि में लाभ और हानि के विवरण में पहचाने जाते हैं जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक मदों का मूल्यांकन लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

2.19 स्ट्रीपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन

खुली खदान में खनन के मामलों में खदान के अपशिष्ट (ओवरबर्डन) जैसे मिट्टी एवं चट्टान को कोयला सीम के ऊपर से निकालना आवश्यक होता है ताकि कोयला प्राप्त किया जा सके। अपशिष्ट हटाने की इस गतिविधि को 'स्ट्रीपिंग' के रूप में जाना जाता है। खुली खदानों में कंपनी को खानों की सुरक्षा (तकनीकी रूप से आकलित) करने हेतु ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए एक नीति के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 मिलियन टन की क्षमता के साथ खानों में स्ट्रिपिंग की लागत पर, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात विवरण के समायोजन पर एवं प्रत्येक खदान पर त

कनीकी मूल्यांकन वाले औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी:कोयला) के रूप में खर्च किया जाता है। खानों के बाद खाते को राजस्व में लाया जाता है।

स्ट्रिपिंग गतिविधियों के तहत परिसंपत्ति एवं तुलन पत्र की तिथि में अनुपात भिन्नता की कुल शेष राशि को गैर वर्तमान प्रावधान/अन्य गैर वर्तमान आस्तियां के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि के समायोजन के रूप में अंकित किया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवेदित अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ओबीआर लेखांकन अनुपात जहां प्रतिवेदित मात्रा एवं मापी गई मात्रा में भिन्नता हो को दो वैकल्पिक अनुमेय सीमा के भीतर गणना हेतु ध्यान में लाया जाता है जैसा कि नीचे उल्लेखित है। :-

खान के ओबीआर का वार्षिक परिमाण	विचरण की अनुमेय सीमा (%)
1 मिलियन घन-मीटर से कम	+/- 5%
1 से 5 मिलियन घन-मीटर के बीच	+/- 3%
5 मिलियन घन-मीटर से अधिक	+/- 2%

हालांकि, जहां विचरण ऊपर के रूप में अनुमेय सीमा से परे है, मापी गई मात्रा पर विचार किया जाता है।

एक मिलियन टन से कम की क्षमता वाले खानों के मामले में, उपरोक्त नीति लागू नहीं की जाती है और वर्ष के दौरान होने वाली स्ट्रिपिंग गतिविधि की वास्तविक लागत को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.20 वस्तु सूची

2.20.1 कोयले का भंडार

कोयले/कोक की सूची कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर बताई गई है। इन्वेंट्री की लागत की गणना भारित औसत पद्धति का उपयोग करके की जाती है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य माल की अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें पूरा होने की सभी अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक लागत शामिल है।

कोल आरक्षित स्टॉक खाते में यह माना जाता है कि जहाँ आरक्षित स्टॉक और मापी गई स्टॉक के बीच का अंतर +/-5% तक हो या ऐसे मामलों में जहां अंतर +/-5%से अधिक हो वहां उसे मापा हुआ स्टॉक माना जायेगा। शुद्ध वास्तविक मूल्य या लागत में से जो भी कम हो, ऐसे स्टॉक मूल्यवान समझे जायेंगे।

कोयले और कोक-फाइन का मूल्य कम लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक का एक हिस्सा माना जाता है।

स्लरी (कोकिंग/सेमी-कोकिंग), वाशरियों के बीच में और उत्पादों द्वारा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.20.2 भंडार और पुर्जे

केन्द्रीय और क्षेत्रीय भंडार में स्टोर और स्पेयर पार्ट्स (जिसमें अव्यवस्थित उपकरण भी शामिल हैं) के स्टॉक को मूल्य स्टोर लेजर में प्रदर्शित शेष राशि के अनुसार माना जाता है और भारत औसत पद्धति के आधार पर गणना की गई लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। कोलियरी/उप-स्टोर/ड्रिलिंग कैंप/उपभोक्ता केंद्रों पर पड़े स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की सूची को वर्ष के अंत में केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार माना जाता है और लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोर और पुर्जों के लिए 100% की दर से और 5 वर्षों से स्थानांतरित नहीं किए गए स्टोर और पुर्जों के लिए 50% की दर से प्रावधान किए गए हैं।

2.20.3 अन्य इन्वेंटरी

कार्यशाला के कार्यों का मूल्यांकन उनके कार्य की प्रगति पर निर्धारित होती है। प्रेस कार्य का स्टॉक (कार्य प्रगति के साथ) मुद्रण प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाओं की लागत मूल्य पर निर्धारित होती है।

हालांकि स्टेशनरी (प्रिंटिंग प्रेस में लाने के अलावा) ईंटों, रेत, दवाइयों (केंद्रीय अस्पताल को छोड़कर) विमान के पुर्जों और स्क्रेप आदि को सूची में उल्लेखित नहीं किया जाता है क्योंकि उनका मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होता।

2.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आस्तियां

प्रावधान तब मान्य होते हैं जब कंपनी की पिछली घटना के परिणाम स्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त हो और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों की आवश्यकता होनी आवश्यक है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहाँ दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तिथि पर की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए उसका समायोजन किया जाता है।

जहाँ यह संभव ना हो कि आर्थिक लाभों का आउटफ्लो आवश्यक होगा या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया गया हो, तो वहाँ दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाना

प्रासंगिक हो जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना रिमोट नहीं होती। संभावित दायित्व के अस्तित्व की केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना रिमोट नहीं होती, तब तक उन्हें प्रासंगिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाएगा।

प्रासंगिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि जब आय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित होती है, तो संबंधित कोई भी संपत्ति आकस्मिक संपत्ति नहीं होती है और ये मान्यताएँ यथोचित होती हैं।

2.22 प्रति शेयर उपार्जन

अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों को भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ से विभाजित कर के प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयरों में मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरों की औसत लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय से प्राप्त होती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो कि सभी डाइव्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाती है।

2.23 निर्णय, आकलन और धारणाएं

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान, आकलन और अभिधारणा की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग एवं आस्तियां और देनदारियों की प्रतिवेदित राशियों, वित्तीय विवरण की तारीख को आकस्मिक आस्तियां एवं देनदारियों के प्रकटीकरण तथा प्रतिवेदित अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय राशि को प्रभावित करती हैं। जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से जुड़े लेखांकन नीतियों का उपयोग और इन वित्तीय विवरणों में धारणाओं के उपयोग का खुलासा किया गया है। लेखांकन परिणाम समय - समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित लागत से भिन्न होते हैं। अनुमान के आधार पर इनकी निरंतर समीक्षा की जाती है और समयानुरूप लेखा अनुमानों का पुनर्निरीक्षण एवं उनका संशोधन भी किया जाता है। सामग्रियों को उनके वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रभावी रूप से प्रकट किया जाता है।

2.23.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश वित्तीय वक्तव्यों में मान्यता प्राप्त राशियों पर डाला गया है:

2.23.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण -

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय वक्तव्य हैं जिसमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जिसके लिए वे आवेदन करते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रबंधन ने भारतीय लेखांकन मानक के अभाव में जो विशिष्ट रूप से लेनदेन, घटना की स्थिति पर लागू होते हैं, के अंतर्गत अपने निर्णयानुसार लेखांकन नीतियों के विकास तथा उसे लागू करने के लिए तथा परिणाम प्राप्त करने हेतु निम्न जानकारीयाँ उद्धृत की है।

- क. उपयोगकर्ताओं की आर्थिक निर्णय लेने की जरूरतों के लिए प्रासंगिक और
- ख. उस वित्तीय विवरणों में विश्वसनीय:
 - i. कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करते हैं;
 - ii. लेन-देन, अन्य घटनाओं और शर्तों के आर्थिक सार को प्रतिबिंबित करें, न कि केवल कानूनी रूप को;
 - iii. तटस्थ हैं, यानी पूर्वाग्रह से मुक्त हैं;
 - iv. विवेकपूर्ण हैं; तथा
 - v. निरंतर आधार पर सभी भौतिक मामलों में पूर्ण हैं

निर्णय लेने में प्रबंधन निम्नलिखित स्रोतों को अवरोही क्रम में संदर्भित करता है, और उनकी प्रयोज्यता पर विचार करता है:

- क. समान और संबंधित मुद्दों से निपटने वाले भारतीय लेखांकन मानक में आवश्यकताएं; तथा
- ख. ढांचे में संपत्ति, देनदारियाँ, आय और व्यय के लिए परिभाषाएं, मान्यता मानदंड और माप अवधारणाएं।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जोकि सामान्य विचारात्मक तंत्र का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करती है जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।

कंपनी खनन क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती हैं) जहां लेखांकन नीतियों की वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग प्रथाओं की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ-साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भारतीय लेखांकन मानक 8 के विकास का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है।

वित्तीय विवरण को लेखांकन के प्रोद्घवन का उपयोग करते हुए ऑन-गोइनिंग-कंसर्न आधार पर तैयार किया जाता है।

2.23.1.2 सामग्रियां

भारतीय लेखांकन मानक उन वस्तुओं पर लागू होता है जो भौतिक हैं। प्रबंधन विचार करते हुए यह निर्णय लेते हैं कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के समूह को वित्तीय विवरणों में सामग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामग्री का आकलन वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक कारण यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा कंपनी अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है ताकि नियमानुरूप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।

यदि कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार ऐसी सभी त्रुटियां और चूक कुल परिचालन से कुल राजस्व (सांविधिक लेवी का शुद्ध) के 1% से अधिक नहीं हैं तो दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी पूर्व अवधि से संबंधित चालू वर्ष में खोजी गई त्रुटियां / चूक को महत्वहीन माना जाता है और उसे चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जाता है।

2.23.1.3 परिचालन पट्टा

कंपनी ने पट्टा समझौते में प्रवेश किया है। । कंपनी शर्तों और निबंधन समझौते के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित करती है कि पट्टे आर्थिक जीवन के वाणिज्यिक संपत्ति का मुख्य भाग और आस्ति के उचित मूल्य के रूप में गठित नहीं किए जा सकते हैं, ताकि जो बरकरार है वे सभी महत्वपूर्ण जोखिमों, स्वामित्व और परिचालन पट्टे को अनुबंध खाते में रखे जा सके।

2.23.2 आकलन और धारणाएँ-

रिपोर्टिंग तिथि में भावी भविष्य और अन्य महत्वपूर्ण खोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ दी गई है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में आस्तियों और देनदारियों की मात्रा के रूप में समायोजित किए जायेंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी आंकलन और धारणाओं के आधार पर समेकित वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करती है। मौजूद परिस्थितियों और भविष्य के विकास के बारे में धारणा बाजार में बदलाव या परिस्थिति के कारण बदल सकती है जो कंपनी के नियंत्रण से परे हैं। ऐसे बदलाव होने पर मान्यताओं में दर्शाये जाते हैं।

2.23.2.1 गैर वित्तीय सम्पत्तियों की हानि -

अगर किसी आस्ति या नकद उत्पन्न करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो, तो हानि का संकेत है, जो कि इसके उचित मूल्य से निपटने की कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। समूह हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग नकद उत्पादन इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग की जाने वाली गणक मान डीसीएफ मॉडल पर आधारित होती है। नगदी प्रवाह को अगले पाँच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त किया जाता है और जिसमें जिसमें पुनर्गठन की गतिविधियां शामिल नहीं की जाती, जिसके लिए समूह अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है

एवं जिसमें सीजीयू की आस्तियों के प्रदर्शनों का भविष्य में उपयोग किया जा सके। वसूली राशि संवेदनशील होती है जो कम दर पर डीसीएफ मॉडल के साथ-साथ अपेक्षित भावी नगदी और प्रविष्टि प्रयोजन के विकास दर को बढ़ाती है। यह अनुमान अन्य खनन के बुनियादी ढांचे के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए प्रमुख मान्यताओं का वर्णन किया गया है और जिसे आगे संबन्धित टिप्पणियों में भी वर्णित किया गया है।

2.23.2.2 कर

अस्थायी परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता इसलिए है कि आस्थगित कर आस्तियां की राशि का निर्धारण किया जा सके जिससे वह पहचाने जा सके। उपरोक्त समय के आधार पर और भविष्य में कर के लाभों के स्तर के साथ भावी कर योजनाओं के तहत रणनीतियाँ बनाई जायेंगी।

2.23.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ उपदान योजना की लागत और अन्य रोजगार के बाद के चिकित्सा लाभ और उपदान दायित्व का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर का निर्धारण, भविष्य के वेतन में वृद्धि और मृत्यु दर शामिल है।

मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन के अधीन पैरामीटर छूट दर है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उचित छूट दर का निर्धारण करने में, प्रबंधन सरकारी बांडों की ब्याज दरों को रोजगार के बाद के लाभ दायित्व की मुद्राओं के अनुरूप मुद्राओं में मानता है।

मृत्यु दर देश की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के जवाब में उन मृत्यु दर तालिकाओं में अंतराल पर ही परिवर्तन होता है। भविष्य के वेतन में वृद्धि और ग्रेच्युटी में वृद्धि अपेक्षित भविष्य की मुद्रास्फीति दर पर आधारित है।

2.23.2.4 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तो उनका उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल के साथ आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो इन मॉडलों को बाजार से लिया जाता है। परंतु जहां संभव ना हो, वहाँ उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णायक परिणामों की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट जैसे विचाराधीन निवेश शामिल होते हैं। धारणाओं में परिवर्तन और अनुमानित ऐसे कारक वित्तीय रिपोर्ट में दिये गए उचित मूल्य को प्रभावित करते हैं।

2.23.2.5 विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

कंपनी ने लेखांकन नीति के अनुसार अमूर्त संपत्तियों का उपयोग परियोजना के विकास के लिए किया है। आम तौर पर जब परियोजना की रिपोर्ट तैयार और अनुमोदित की जाती है, तब निर्णयों के आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रारम्भिक पूँजी लागत की तकनीक और आर्थिक व्यवहार को स्वीकार किया जाएगा है।

2.23.2.6 खदान बन्दी, साइट पुनर्स्थापना व डीकमिशनिंग दायित्वों के लिए प्रावधान

खदान बन्दी, साइट पुनर्स्थापना व निवर्तन दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य के निर्धारण में छूट दर, साइट पुनः स्थापना और निर्वहन तथा इन लागतों में अनुमानित समय के आधार पर अनुमान और प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। कंपनी परियोजना/खानों में डीसीएफ पद्धति को चलाने का प्रावधान करती है।

- कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में यथा-निर्दिष्ट अनुमानित लागत प्रति हेक्टर होगी।
- छूट की दर (प्रति कर दर) जो समय के वर्तमान मूल्यों के मूल्यांकन और देयताओं के लिए मौजूदा बाजार द्वारा किए गए आकलन को दर्शाती है।

2.24 संक्षेपों का प्रयोग:

क. सीजीयू	नकद उत्पन्न करने वाली इकाई	ठ. ईसीएल	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ख. डीसीएफ	नकदी आयजन्य निवेश	ड. बीसीसीएल	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
ग. एफवीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	ढ. सीसीएल	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
घ. एफवीटीपीएल	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	ण. एसईसीएल	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ङ. जीएएपी	आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांत।	त. एमसीएल	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
च. इंड एसएस	भारतीय लेखांकन मानक	थ. एनसीएल	नोंर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
छ. ओसीआई	अन्य व्यापक आय	द. डब्लूसीएल	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ज. पीएंडएल	लाभ और हानि	ध. सीएमपीडीआईएल	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड
झ. पीपीई	सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	न. एनईसी	नोंर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स
ञ. एसपीपीआई	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान	प. आईआईसीएम	भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान
ट. ईआईआर	प्रभावी ब्याज दर	फ. सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी 4 : पूंजीगत कार्य प्रगति पर हैं

(₹ लाख में)

	वन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलियाँ सहित)	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साइडिंग	अन्य खनन अवसरचना/विकास	निर्माणधीन रेल कॉरिडोर	सौर परियोजना	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:								
1 अप्रैल 2020 तक परिवर्धन								
कैपिटलाइजेशन/विलोपन								
31 मार्च 2021 तक								
1 अप्रैल 2021 तक परिवर्धन								
कैपिटलाइजेशन/विलोपन								
31 मार्च 2022 तक								
संचित हानि								
1 अप्रैल 2020 तक वर्ष के लिए शुल्क हानि								
विलोपन/समायोजन								
31 मार्च 2021 तक								
1 अप्रैल 2021 तक वर्ष के लिए शुल्क हानि								
विलोपन/समायोजन								
31 मार्च 2022 तक								
शुद्ध वहन राशि								
31 मार्च 2022 तक								
31 मार्च 2021 तक								

पूंजी-कार्य प्रगति में (सीडब्ल्यूआईपी)
(क) कार्य प्रगति की कार्यकाल सूची:

अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि

	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर हैं:					
भवन (जल की आपूर्ति, सड़कों और पुलियाँ सहित)					
संयंत्र और उपकरण					
रेलवे साइडिंग					
अन्य खनन अवसरचना/विकास					
निर्माणधीन रेल कॉरिडोर					
सौर परियोजना					
अन्य					
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
(शीर्ष का नाम (अर्थात् भवन/संयंत्र और उपकरण) का उल्लेख करें।)					
परियोजना का नाम					
परियोजना का नाम					
परियोजना का नाम					
कुल					

(ख) अतिदेय पूंजी-कार्य-प्रगति में

में पूरा किया जाना है

	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजनाएं प्रगति पर हैं:				
भवन (जल की आपूर्ति, सड़कों और पुलियाँ सहित)				
संयंत्र और उपकरण				
रेलवे साइडिंग				
अन्य खनन अवसरचना/विकास				
निर्माणधीन रेल कॉरिडोर				
अन्य				
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:				
(शीर्ष का नाम (अर्थात् भवन/संयंत्र और उपकरण) का उल्लेख करें।)				
परियोजना का नाम				
परियोजना का नाम				
कुल				

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी 5: अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति

(₹ लाख में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि: 1 अप्रैल 2020 तक परिवर्धन पूँजीकरण/ विलोपन 31 मार्च 2021 तक	-
1 अप्रैल 2021 तक परिवर्धन विलोपन/ समायोजन 31 मार्च 2022 तक	-
परिशोधन और हानि 1 अप्रैल 2020 तक वर्ष के लिए शुल्क हानि विलोपन/ समायोजन 31 मार्च 2021 तक	-
1 अप्रैल 2021 तक वर्ष के लिए शुल्क हानि विलोपन/ समायोजन 31 मार्च 2022 तक	-
शुद्ध वहन राशि 31 मार्च 2022 तक	-
31 मार्च 2021 तक	-

(क) अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति के लिए कार्यकाल अनुसूची

..... की अवधि के लिए अन्वेषण और मूल्यांकन में राशि

	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
ई एंड ई परियोजनाएं प्रगति पर हैं:					
ई एंड ई परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित :					
परियोजना का नाम					
कुल	-	-	-	-	-

(ख) अतिदेय अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति

..... में पूरा किया जाना है

	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
ई एंड ई परियोजनाएं प्रगति पर हैं:				
परियोजनाओं का नाम				
कुल	-	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी 6.1: अमूर्त संपत्ति

(₹ लाख में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अमूर्त खोजपूर्ण संपत्ति	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:				
1 अप्रैल 2020 तक			-	-
परिवर्धन		-	-	-
पूंजीकरण/ विलोपन	-	-	-	-
31 मार्च 2021 तक	-	-	-	-
1 अप्रैल 2021 तक	-	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-	-
विलोपन/ समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2022 तक	-	-	-	-
परिशोधन और हानि				
1 अप्रैल 2020 तक		-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क		-	-	-
हानि		-	-	-
विलोपन/ समायोजन		-	-	-
31 मार्च 2021 तक	-	-	-	-
1 अप्रैल 2021 तक	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क				-
हानि	-			0.00
विलोपन/ समायोजन				0.00
31 मार्च 2022 तक	-	-	-	-
शुद्ध वहन राशि				
31 मार्च 2022 तक	-	-	-	-
31 मार्च 2021 तक	-	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी 6.2: विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

(₹ लाख में)

	विकास के तहत ईआरपी
सकल वहन राशि:	
1 अप्रैल 2020 तक	-
परिवर्धन	-
पूंजीकरण/ विलोपन	-
31 मार्च 2021 तक	-
1 अप्रैल 2021 तक	-
परिवर्धन	-
विलोपन/ समायोजन	-
31 मार्च 2022 तक	-
परिशोधन और हानि	
1 अप्रैल 2020 तक	-
वर्ष के लिए शुल्क	-
हानि	-
विलोपन/ समायोजन	-
31 मार्च 2021 तक	-
1 अप्रैल 2021 तक	-
वर्ष के लिए शुल्क	-
हानि	-
विलोपन/ समायोजन	-
31 मार्च 2022 तक	-
शुद्ध वहन राशि	-
31 मार्च 2022 तक	-
31 मार्च 2021 तक	-

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

(क) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के लिए कार्यकाल की अनुसूची

 की अवधि के लिए विकास के तहत अमूर्त संपत्ति में राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर हैं:					
विकास के तहत ईआरपी					
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं :					
(प्रमुख का नाम (अर्थात् कंप्यूटर आदि) का उल्लेख करें।)					
परियोजना का नाम					
कुल	-	-	-	-	-

(ख) विकास के तहत अतिदेय अमूर्त संपत्ति

 में पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
विकास के तहत ईआरपी	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी - 7 : निवेश

गैर चालू निवेश	स्वामित्व का %	शेयरों /इकाइयों की संख्या	अंकित मूल्य प्रति शेयर	(₹ लाख में)	
				31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
सहायक कंपनियों में इक्विटी शेयर कुल (क)				-	-
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत) निवेश अन्य कुल (ख)				-	-
कुल योग (क + ख)				-	-
गैर-उद्धृत निवेश की कुल राशि:				-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि:				-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य				-	-
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:				-	-

टिप्पणी - 7 (जारी)

निवेश	इकाइयों की संख्या	भारत औसत एनएवी (₹ में)	(₹ लाख में)	
			31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
चालू				
न्यूचुअल फंड निवेश				
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत)				
अंतर कॉर्पोरेट जमा (आईसीडी) में निवेश कुल :			0	0
गैर-उद्धृत निवेशों का योग:			0	0
उद्धृत निवेश का कुल:			0	0
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य:			0	0
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:			0	0

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी - 8 : ऋण

गैर चालू	इकाइयों की संख्या भारत और एनएपी (₹ में)	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
संबंधित पक्षों को ऋण - सुरक्षित, अच्छा माना जाता है - असुरक्षित, अच्छा माना जाता है - क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि खराब क्रेडिट		0 0 0 0	0 0 0 0
घटाव : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता		0	0
संबंधित पक्षों के अलावा अन्य को ऋण कॉर्पोरेट और कर्मचारियों के लिए ऋण - सुरक्षित, अच्छा माना जाता है - असुरक्षित, अच्छा माना जाता है खराब क्रेडिट		0 0 0 0	0 0 0 0
घटाव : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता		0	0
कुल		0	0
चालू			
संबंधित पक्षों को ऋण - सुरक्षित, अच्छा माना जाता है - असुरक्षित, अच्छा माना जाता है - क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि खराब क्रेडिट		0 0 0 0	0 0 0 0
कम: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता		0	0
कॉर्पोरेट और कर्मचारियों के लिए ऋण - सुरक्षित, अच्छा माना जाता है - असुरक्षित, अच्छा माना जाता है - क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि खराब क्रेडिट		0 0 0 0	0 0 0 0
कम: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता		0	0
कुल		0	0

1. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - टिप्पणी 38(3)(क) देखें।

संबंधित पक्षों को गैर-वर्तमान ऋणों का विवरण	31.03.2022 के अनुसार		31.03.2021 के अनुसार		
	उधारकर्ता का प्रकार	सफल राशि बकाया	कुल सकल ऋण का %	सफल राशि बकाया	कुल सकल ऋण का %
निदेशक			-		-
केएमपी			-		-
सम्बन्धित दल			-		-
कुल			-		-

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी-समेकित
टिप्पणी - 9 : अन्य वित्तीय आस्तियां

(₹ लाख में)

	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
गैर चालू		
12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि	-	-
माइन क्लोजर प्लान के तहत बैंक में जमा	-	-
सुरक्षा जमा राशि	-	-
घटाव : संदिग्ध जमानत राशि के लिए भत्ता	-	-
अन्य जमा और प्राप्तियां	-	-
घटाव: संदिग्ध जमा राशियों और प्राप्त राशियों के लिए भत्ता	-	-
कुल	-	-
चालू		
स्वामित्व कंपनी/सहायक कंपनियों/मुख्यालय के साथ चालू खाता शेष	-0.00	-
घटाव : अनुबंधियों के पास संदिग्ध शेष के लिए भत्ता	-	-
अर्जित ब्याज	50.58	51.53
अन्य जमा और प्राप्तियां	5,657.15	5,657.15
घटाव: संदिग्ध जमा राशियों और प्राप्त राशियों के लिए भत्ता	-	-
	5,657.15	5,657.15
सुरक्षा जमा राशि	-	-
घटाव : संदिग्ध जमानत राशि के लिए भत्ता	-	-
	-	-
कुल	5,707.73	5,708.68

1. निदेशकों से वक़ाय़ा राशि के लिए - टिप्पणी 38(3)(क) देखें।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी 10 : अन्य गैर- चालू परिसंत्तियां

(₹ लाख में)

	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(i) पूंजी अग्रिम घटाव : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	-	-
(ii) पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम (क) उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा घटाव: संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ता	-	-
(ख) अन्य जमा और अग्रिम घटाव: संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ता	-	-
(ग) प्रगतिशील खान बंद करने पर किया गया खर्च	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी : प्रगतिशील खान बन्द पर होने वाले खर्च का देय प्राप्य के लिए एस्करो खाते का रखाव। सीएमपीडीआईएल द्वारा लेखापरीक्षा के बाद सीसीओ के पास दावा प्रस्तुत किया जाना बाकी है। इसमें सीसीओ द्वारा अनुमोदित व्यय भी शामिल है लेकिन दिशानिर्देश के अनुसार अंतिम खदान बंद होने के बाद जारी किया जाना है।

टिप्पणी-11 : अन्य चालू संपत्तियां

	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(क) वैधानिक देय राशि का अग्रिम भुगतान घटाव: संदिग्ध सांविधिक देय राशि के लिए भत्ता	-	-
(ख) संबंधित पार्टियों को अग्रिम	-	-
(ग) अन्य जमा और अग्रिम 1 घटाव: संदिग्ध अन्य जमाराशियों और अग्रिमों के लिए भत्ता	86.39	86.39
(घ) प्रगतिशील खान बंद करने पर किया गया खर्च	-	-
(ङ) इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	-	-
कुल	86.38924	86.39

1. अन्य अग्रिम और जमा में निम्नलिखित के विरोध में जमा शामिल हैं:- आयकर ₹ शून्य लाख, विक्री कर ₹ शून्य लाख, सेवा कर ₹ शून्य लाख, केंद्रीय उत्पाद शुल्क ₹ शून्य लाख, स्वच्छ ऊर्जा उपकर ₹ शून्य लाख।
2. अन्य अग्रिमों और जमाराशियों में अतिरिक्त सीएसआर राशि को अग्रहित करने के लिए ₹ शून्य लाख भी शामिल हैं। [नोट 28 के तहत सीएसआर पर नोट देखें: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय]।
3. सीएमपीडीआईएल द्वारा ऑडिट के बाद इस प्रयोजन के लिए बनाए गए एस्करो खाते से प्राप्त होने वाला प्रगतिशील खान बंद करने का खर्च और सीसीओ के पास 50% या सीसीओ द्वारा अनुमोदित राशि का दावा प्रस्तुत किया गया है लेकिन जारी नहीं किया गया है।
4. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - नोट 38(3)(क) देखें।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ
टिप्पणी - 12 : वस्तुसूची

(₹ लाख में)

	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(क) कोयले का भंडार विकास के तहत कोयला कोयले का भंडार	-	-
(ख) स्टोर और स्पेयर का भंडार (शुद्ध) जोड़: स्टोर-इन-ट्रांजिट स्टोर और स्पेयर का शुद्ध स्टॉक	-	-
(ग) केंद्रीय अस्पताल में दवा का स्टॉक (घ) कार्यशाला और प्रेस कार्य	-	-
कुल	-	-

मूल्यांकन की विधि : टिप्पणी संख्या 2.20 देखें - 'इन्वेंटरी' पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ।

टिप्पणी - 13 : व्यापार प्राप्य

	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
चाहू व्यापार प्राप्य सुरक्षित और अच्छा माना गया। असुरक्षित और अच्छा माना गया क्रेडिट हानि	-	-
घटाव : अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	0
कुल	-	-

1. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - टिप्पणी 38(3)(क) देखें।

2. उपरोक्त व्यापार प्रापियों कोयला गुणवत्ता भिन्नता के प्रावधान और ₹ 30.96 करोड़ के कोयले पर नमी के प्रावधान का शुद्ध है। (पीवाई ₹ 50.71 करोड़)।
व्यापार प्राप्य कालसूची

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने 1 साल	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया						0
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य-क्रेडिट हानि	0					0
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना गया	0	0	0	0	0	0
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट हानि	0	0	0	0	0	0
(v) कोयला गुणवत्ता परिवर्तन कुल चुक्या न गया देय अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	0	0	0	0	0	0
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान) -%	0	0	0	0	0	0

कोयला गुणवत्ता भिन्नता का समाधान

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कोयले की गुणवत्ता भिन्नता का प्रारंभिक शेष अवधि के दौरान जोड़ अवधि के दौरान उत्क्रमण कोयला गुणवत्ता भिन्नता का अंतिम शेष	0	0
	0	0

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी - 12 का अनुसूचक

(माता टन में) मूल्य लाख रुपये में
तालिका: क

अनुक्ति के अंतर्गत बरी स्टॉक के साथ खाते में अपनाए गए वस्तुनिष्ठ स्टॉक का मिलावट	कुल स्टॉक		गैर-विक्रय स्टॉक		विक्री योग्य स्टॉक		तालिका: ख							
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	5/का/विद्युत 5/आ कोयला		गैर कोयला		अन्य उत्पाद		कुल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. (क) 01.04.2021 के अनुसार प्रारंभिक स्टॉक (ख) 5% से अधिक की कमी खाता बोलने में अपनाया गया स्टॉक														
2. (क) अवधि के लिए उत्पादन (ख) कोयले की खरीद														
3. उप-शून्य (1 का 2)														
4. अवधि के लिए कुल व्यापार (क) वाहरी प्रेषण (ख) वाहरीय को कोयला फीड (ग) स्वयंसेवक (घ) खरीद गए कोयले का प्रेषण कुल (क)														
5. दुरुपलब्ध स्टॉक														
6. नाश गया स्टॉक														
7. अंतर (5-6)														
8. अंतर का हटाना (क) 5% के भीतर अतिरिक्त (ख) 5% के भीतर कमी (ग) 5% से अधिक (घ) 5% से अधिक की कमी 9. अपनाया गया समाप्त स्टॉक														
खाते में (6-8क + 8घ)														
कोयले के अंतरण स्टॉक का सारांश														
	कोयला	मूल्य	कोयला	मूल्य	गैर कोयला	मूल्य	गैर कोयला	मूल्य	कोयला	मूल्य	गैर कोयला	मूल्य	अन्य उत्पाद	कुल
प्रारंभिक स्टॉक (संभावित)														
5% से अधिक की कमी														
समाप्त प्रारंभिक स्टॉक (विक्रय योग्य)														
उत्पादन														
कोयले की खरीद														
उप														
(क) वाहरी प्रेषण														
(ख) वाहरीय को कोयला फीड														
(ग) स्वयंसेवक														
(घ) खरीद गए कोयले का प्रेषण														
वस्तुनिष्ठ स्टॉक दुरुपलब्ध														
घटल : कमी														
अतिरिक्त														
अंतिम मात्रा														

अतिरिक्त सर्वेक्षण मात्रा टीमों में कोयले के वस्तुनिष्ठ स्टॉक का मौखिक सत्यापन किया है। कुछ क्षेत्रों में इसे वाहरी टीमों द्वारा भी सत्यापित किया गया है। कोयला स्टॉक के मौखिक सत्यापन पर +/- 5% तक स्टॉक (खान/कोयली गार) के भीतर पाई गई कमी/अधिशेष को संतुलित नीति के अनुसार 3 5% से अधिक की कमी का विवरण निम्नानुसार है:-
उन मामलों में, यदि अंतर +/- 5% से अधिक है, नीति के अनुसार, मात्रा गया स्टॉक को खातों में माना गया है और 31.03.2022 को 1 मूल्य लाख मूल्य के टन की मात्रा में कमी पर विचार किया गया है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 14: नकद और नकद समकक्ष

(₹ लाख में)

	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(क) बैंकों के साथ शेष राशि		
जमा खातों में	-	
चालू खातों में		
- ब्याज असर (सीएलटीडी)	2,006.45	1,917.05
- गैर ब्याज असर	-	
ऋण खातों में नकद	-	-
(ख) भारत के बाहर बैंक शेष	-	-
(ग) चेक, ड्राफ्ट और हाथ में टिकट	-	-
(घ) हाथ पर नकद	-	-
(ङ) अन्य	-	-
कुल नकद और नकद समकक्ष	2,006.45	1,917.05

नकद और नकद समकक्ष में तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ हाथ में और बैंक में नकद, स्वीप खात

टिप्पणी - 15 : अन्य बैंक शेष

	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
बैंकों के साथ शेष राशि		
जमा	-	
अन्य जमा - विशिष्ट उद्देश्यों के लिए	-	
कुल	-	-

अन्य बैंक शेष में जमा शामिल हैं - विशिष्ट उद्देश्यों के लिए और बैंक जमा जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर नकद में प्राप्त होने की उम्मीद है।

विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमा, न्यायालय के आदेश के अनुसार और अन्य विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ग्रहणाधिकार के तहत रखी गई / निर्धारित बैंक जमा हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 16: इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

अधिकृत	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
₹ 10/- प्रत्येक के 20,00,000,000 इक्विटी शेयर	20,000.00	20,000.00
	20,000.00	20,000.00
<u>जारी, अभिदा एवं चुकाया हुआ</u>		
₹10/- प्रत्येक के 9,51,000,000 इक्विटी शेयर पूरी तरह से चुकता है	9,510.00	9,510.00
	9,510.00	9,510.00

1. कंपनी में प्रत्येक शेयरधारक के पास 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयर

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	
	(प्रत्येक का अभिक्त मूल्य ₹10)	शेयर ¹
एमसीएल (होलिडिंग कंपनी)	57060000	60
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	10461000	11
जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड	10461000	11
जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड	8559000	9
श्याम मेटलिव्स एंड एनर्जी लिमिटेड	8559000	9

2. इस अवधि के दौरान, कंपनी ने कोई शेयर जारी नहीं किया है और न ही वापस खरीदा है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी
टिप्पणी 17: अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित पूंजी प्रतिदान	जनरल संशय	प्रतिधारित कमाई	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का शुद्ध) - (ओसीआई)	कुल
01-04-2021 के अनुसार शेष राशि लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियां	0.00	0.00	(2106.10)	0.00	(2106.10)
01-04-2021 के अनुसार पुनर्निर्धारित शेष राशि अवधि के लिए कुल व्यापक आय			9.0496621	0	9.0496621
अंतरिम लाभंश					0
अंतिम लाभंश					0
कॉर्पोरेट लाभंश कर					0
जनरल संशय में/से स्थानांतरण		0.00			0
अवधि के दौरान समायोजन (मुख्यालय को हस्तांतरित)					0
कोई अन्य परिवर्तन (निर्दिष्ट किया जाना है)					0
इक्विटी शेयरों का बायबैक					0
31.03.2022 के अनुसार शेष राशि	0	0	-2097.050338	0	-2097.050338

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित पूंजी प्रतिदान	जनरल संशय	प्रतिधारित कमाई	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का शुद्ध) - (ओसीआई)	कुल
01-04-2020 के अनुसार शेष राशि लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियां			-2062.32		-2062.32
01-04-2020 के अनुसार पुनर्निर्धारित शेष राशि अवधि के लिए कुल व्यापक आय			-43.78	0	-43.78
अंतरिम लाभंश					0
अंतिम लाभंश					0
कॉर्पोरेट लाभंश कर			0		0
जनरल संशय में/से स्थानांतरण		0			0
अवधि के दौरान समायोजन (मुख्यालय को हस्तांतरित)					0
कोई अन्य परिवर्तन (निर्दिष्ट किया जाना है)					0
इक्विटी शेयरों का बायबैक					0
31.03.2021 के अनुसार शेष राशि	0	0	-2106.1	0	-2106.1

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी
टिप्पणी 18: उधार

(₹ लाख में)

	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
मेर चालू		
सावधि ऋण		
बैंकों से	-	-
दुःख	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
चालू		
मांग पर चुकाने योग्य ऋण		
बैंक से		
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
- बैंकों से अन्य ऋण	-	-
अन्य	-	-
नवी अवधि के उधार की वर्तमान परिपक्वता	-	-
कुल	-	-

वर्गीकरण
सुरक्षित
असुरक्षित

टिप्पणी:

1. निबद्ध, फ्रांस से 4 हाइड्रोलिक शॉवेल की खरीद के लिए बैंक नेशनल डी पेरिस और नेटैक्सिस बैंक के साथ क्रेडिट समझौते के माध्यम से ऋण की व्यवस्था की गई थी। 31.03.2022 को बकाया ऋण (चुकोती के बाद शुद्ध) ₹ 5.12 करोड़ है। (31.03.2021 ₹ 5.67 करोड़ के अनुसार)।

शेष राशि का विवरण इस प्रकार है:-

	यूरो में	₹ लाख में
01.04.2021 को शेष राशि		5.67
31.03.2022 को समाप्त अवधि के दौरान चुकोती		
अनुवाद अंतर	-	
31.03.2022 तक शेष राशि	-	5.67

निदेशकों और अन्य लोगों द्वारा गारंटीकृत ऋण:

ऋण का विवरण	राशि ₹ लाख में	गारंटी की प्रकृति
बैंक नेशनल डी पेरिस और नेटैक्सिस बैंक, फ्रांस	-	भारत सरकार ने हमारे सभी भुगतान दायित्वों के संबंध में एक अपरिवर्तनीय और बिना शर्त गारंटी प्रदान की है।

बैंक नेशनल डी पेरिस और नेटैक्सिस बैंक, फ्रांस, के संबंध में ₹ शून्य के लिए दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता भी उपरोक्त के रूप में गारंटीकृत है।

"पुनः भुगतान कार्यक्रम :

इन ऋण सुविधा के तहत चुकोती 30 सितंबर, 2030 को पूरी हो जाएगी।"

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी
टिप्पणी- 19 : व्यापार देय

(₹ लाख में)

	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा	-	-
कुल	-	-

व्यापार देय - सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि

क) मूलधन और ब्याज राशि बकाया है लेकिन वर्ष के अंत तक बकाया नहीं है	-	-
ख) वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज।	-	-
ग) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज (जो भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
घ) वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज और बकाया	-	-
ङ) आगे के वर्षों में भी देय और देय ब्याज, ऐसी तारीख तक जब तक कि ऊपर के रूप में ब्याज बकाया वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं किया जाता है।	-	-

व्यापार देय कार्यकाल अनुसूची

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	-	-	-	-
(iii) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-
बिना बिल की बकाया राशि	-	-	-	-	-

टिप्पणी - 20 : अन्य वित्तीय देयताएं

गैर चालू	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
सुरक्षा जमा	-	-
अग्रिम धन	-	-
अन्य	-	-
चालू		
चालू खाता के साथ एमसीएल	-	-
जेएसडब्ल्यू एनजी लिमिटेड	492.58	402.64
एसएमईएल	2.23	2.23
सुरक्षा जमा	1.48	1.48
अग्रिम धन	3.36	3.36
पूँजीगत व्यय के लिए देय	1.61	1.61
कर्मचारी लाभ के लिए देयता	-	-
अन्य	-	5.97
कुल	21.28	21.83
	522.54	439.12

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी
टिप्पणी - 21 : प्रावधान

	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
गैर चालू		
कर्मचारी लाभ		
येच्युटी	-	-
छूट के बदले नकद भुगतान	-	-
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-
अन्य प्रावधान		
साइट का मरम्मत/ खदान बंदी	-	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-
चालू		
कर्मचारी लाभ		
येच्युटी	-	-
छूट के बदले नकद भुगतान	-	-
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	-	-
अनुग्रहपूर्वक	-	-
प्रदर्शन से संबंधित भुगतान	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-
अन्य प्रावधान		
अन्य	-	-
कुल	-	-

1. साइट के जीर्णोद्धार/खान बंद करने का प्रावधान भूमि सुधार और ढाँचों को बंद करने के लिए कंपनी के दायित्व में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सतह और भूमिगत दोनों खानों पर खर्च करना शामिल है। आवश्यक कार्य करने के लिए भविष्य के नकद खर्च की राशि और समय की विस्तृत गणना और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खदान को बंद करने, साइट की बहाली और डीकमिशनिंग के लिए दायित्व का अनुमान। खान बंद करने का खर्च अनुमोदित खान बंद करने की योजना के अनुसार प्रदान किया जाता है। मुद्रास्फीति के लिए खर्च का अनुमान बढ़ाया जाता है, और फिर छूट दर (@8%) पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य और जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है, जैसे कि प्रावधान की राशि अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाती है दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक है। समय के साथ प्रावधान का मूल्य उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है क्योंकि छूट के प्रभाव में कमी आती है; वित्तीय व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त व्यय बनाना। खान बंद करने की योजना तैयार करने के लिए उपरोक्त दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, एक एस्करो खाता खोला गया है। (टिप्पणी - 9 देखें)

भूमि के पुनरुद्धार/स्थल पुनर्स्थापन/खान बंद करने का समाधान :

	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
उद्घाटन तिथि पर साइट बहाली प्रावधान	0.00	0.00
आगे साइट बहाली प्रावधान का जोड़		
जोड़: अवधि के दौरान लगाए गए प्रावधान को समाप्त करना		
घटाव : अवधि के दौरान निकासी		
खान बंद करने का प्रावधान	0.00	0.00

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी
टिप्पणी - 22 : अन्य गैर चालू देयताएं

(₹ लाख में)

	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
आस्थगित आय	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी: ₹__ लाख (₹__ लाख) की आस्थगित आय का वर्तमान भाग टिप्पणी 23 (अन्य) में शामिल किया गया है।
(₹ लाख में)

टिप्पणी - 23 : अन्य चालू देयताएं

	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
सांविधिक बकाया	0.78	0.47
ग्राहकों / अन्य से अग्रिम	-	-
अन्य देनदारियां	-	-
कुल	0.78	0.47

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी
टिप्पणी - 24 : संचालन से राजस्व

	(₹ लाख में)	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
क. कोयले की बिक्री घटाव: सांविधिक लेवी कोयले की बिक्री (शुद्ध) (क)	-	-
ख. अन्य परिचालन राजस्व लदान और अतिरिक्त परिवहन शुल्क घटाव: सांविधिक लेवी	-	-
निकासी सुविधा शुल्क घटाव: सांविधिक लेवी	-	-
सेवाओं से राजस्व घटाव: सांविधिक लेवी	-	-
अन्य परिचालन राजस्व (शुद्ध) (ख)	-	-
संचालन से राजस्व (क + ख)	-	-

1. बिक्री में ईंधन आपूर्ति समझौते के तहत प्रदर्शन बिल प्रोत्साहन और मुआवजा आय के रूप में ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹ शून्य करोड़) शामिल हैं।
2. उपरोक्त कोयले की बिक्री में अनुमानित कोयला गुणवत्ता भिन्नता और कोयले पर नमी के प्रावधान (रिवर्सल का शुद्ध) की राशि ₹ शून्य करोड़ (पीवाई ₹ शून्य करोड़) की वृद्धि हुई है।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी
टिप्पणी 25 : अन्य आय

	(₹ लाख में)	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय	94.31	105.00
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	-	-
अन्य गैर-परिचालन आय	-	-
संपत्ति की बिक्री पर लाभ	-	-
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	-	-
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	-	-
पट्टे का किराया	-	-
दायित्व/प्रावधान वापस लिखा गया	-	-
उचित मूल्य परिवर्तन (शुद्ध)	-	-
विविध आय	-	-
कुल	94.31	105.00

1. ब्याज आय में शुल्क आयकर रिफंड ब्याज शामिल है

टिप्पणी 26: उपभोग की गई सामग्री की लागत

विस्फोटकों	-
लकड़ी	-
तेल और स्नेहक	-
एचईएमएम स्पेयर्स	-
अन्य उपभोग्य स्टोर और पुर्जे	-
कुल	-

टिप्पणी 27: तैयार माल की सूची में परिवर्तन, प्रगति पर काम और व्यापार में स्टॉक

कोयले का प्रारंभिक स्टॉक	-
कोयले का समाप्ति स्टॉक	-
क. कोयले की सूची में परिवर्तन	-
कार्यशाला से बने तैयार माल, डब्ल्यूआईपी और प्रेस कार्य का प्रारंभिक स्टॉक	-
कार्यशाला से बने तैयार माल, डब्ल्यूआईपी और प्रेस कार्य का समाप्ति स्टॉक	-
ख. कार्यशाला की सूची में परिवर्तन	-
व्यापार में स्टॉक की सूची में परिवर्तन (क + ख) (गिरावट / (अभिवृद्धि))	-

टिप्पणी: 28 कर्मचारी लाभ व्यय

वेतन और मजदूरी (भत्ते और बोनस आदि सहित)	36.43	72.31
पीएफ में योगदान और अन्य फंड	4.61	9.15
कर्मचारी कल्याण व्यय	0.09	0.17
कुल	41.12	81.63

टिप्पणी 29: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

सीएसआर व्यय	-
कुल	-

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी
सीएसआर से संबंधित टिप्पणियाँ

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
क. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार विवरण (अधिक खर्च सहित): भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देना लैंगिक समानता और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय पर्यावरणीय स्थिरता राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों का लाभ	- - - -	- -
ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	-	-
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कोष में योगदान इन्व्यूबेटरी या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान	- -	-
विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में योगदान ग्रामीण विकास परियोजनाएं स्लम क्षेत्र का विकास राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	- - -	-
कुल	-	-
ख. सीएसआर व्यय ब्रेक-अप अवधि/वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि: (i) किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण (ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर		
कुल	-	-

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी
टिप्पणी 30: मरम्मत

(₹ लाख में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
इमारत	1.25	
संयंत्र एवं यंत्र	-	
अन्य	-	
कुल	1.25	-

टिप्पणी 31 : संविदात्मक व्यय

यातायात भुगतान	-	
वेगन लोडिंग	-	
संयंत्र और उपकरणों की भर्ती	-	
अन्य संविदात्मक कार्य	-	
कुल	-	-

टिप्पणी 32 : वित्त लागत

ब्याज खर्च		
रूट की समाप्ति	-	
समूह के भीतर जमा धन		
उचित मूल्य परिवर्तन (शुद्ध)		
अन्य उधार लागत	16.79	10.94
कुल	16.79	10.94

टिप्पणी 33: प्रावधान

संदिग्ध ऋण	-	
संदिग्ध अग्रिम और दावे	-	-
स्टोर और पुर्जे	-	
अन्य	-	
कुल	-	-

टिप्पणी 34 : बट्टे खाते डालना (पिछले प्रावधानों का शुद्ध)

संदिग्ध ऋण	-	-
घटाव: पहले प्रदान किया गया	-	-
	-	-
संदिग्ध अग्रिम	-	-
घटाव: पहले प्रदान किया गया	-	-
	-	-
अन्य	-	-
घटाव: पहले प्रदान किया गया	-	-
	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी
टिप्पणी 35: अन्य व्यय

(₹ लाख में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा खर्च	0.59	3.65
प्रशिक्षण व्यय	-	-
टेलीफोन और डाक	-	0.05
विज्ञापन और प्रचार	-	-
भाड़ा प्रभार	-	-
स्काना	-	-
सुरक्षा व्यय	14.62	28.68
सीआईएल के सेवा प्रभार	-	-
किराया प्रभार	-	5.20
सीएमपीडीआईएल को परामर्श प्रभार	-	-
कानूनी व्यय	6.94	5.73
परामर्श शुल्क	-	-
लॉडिंग शुल्क के तहत	-	-
संपत्ति की बिक्री/त्याग/सर्वेक्षण पर हानि	-	-
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक और व्यय	-	-
लेखा परीक्षा शुल्क के लिए	0.90	2.07
कराधान मामलों के लिए	-	-
अन्य सेवाओं के लिए	-	-
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	-	-
आंतरिक और अन्य लेखापरीक्षा व्यय	-	-
पुनर्वास शुल्क	-	-
लीज रेंट	0.38	1.50
दरें और कर	-	0.25
बीमा	-	-
विनिमय दर विचरण पर हानि	-	-
अन्य बचाव/सुरक्षा व्यय	-	-
डेड रेंट / भूतल किराया	-	-
साइडिंग रखरखाव शुल्क	-	-
आर एंड डी खर्च	-	-
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	-	-
दान	-	-
विविध व्यय	2.46	8.86
कुल	25.88	55.99

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी - समेकित
टिप्पणी 36: कर व्यय

	(₹ लाख में)	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू वर्ष आस्थगित कर पहले के वर्ष	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी 37: अन्य व्यापक आय

(क) (i) आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप	-	-
(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप	-	-
कुल (क)	-	-
(ख) (i) आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई की हिस्सेदारी	-	-
(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई की हिस्सेदारी	-	-
कुल (ख)	-	-
कुल (क + ख)	-	-

टिप्पणी 38: 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त टिप्पणी

1. अपरिचित मूल

क. आकस्मिक देयताएं

1. कंपनी के वित्साक दावे जिन्हें शेष के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है

(₹ लाख में)

विवरण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपम	अन्य	कुल
01-04-2021 के अनुसार प्रारंभिक शेष राशि	-	-	-	-	0
अपघि के दौरान जर्डी	-	-	-	-	0
अपघि के दौरान निपटार हुए दावे	-	-	-	-	-
क. प्रारंभिक शेष से	-	-	-	-	-
ख. अपघि के दौरान अतिरिक्त	-	-	-	-	-
31-03-2022 को अंतिम शेषराशि	-	-	-	-	-

आकस्मिक देयता

क्र. सं.	विवरण	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए
1	केन्द्रीय सरकार अंध कर् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्वच्छ ऊर्जा उपकर केन्द्रीय विप्रेषि कर सेवा कर अन्य	-	-
	उप-कुल	-	-
2	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण रोयल्टी पर्यावरण मंजूरी बिडिंग कर/सेट प्रवेश कर पिजली शुल्क अन्य	-	-
	उप-कुल	-	-
3	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपम गृहस्थता कार्यवाही कंपनी के वित्साक घल रह मुकदमा अन्य	-	-
	उप-कुल	-	-
4	अन्य: (बाँडे कोई हो) विधिप - भूमि और अन्य कर्मचारी संबंधित और आदि	-	-
	उप-कुल	-	-
	कुल योग	-	-

II. गारंटी

31.03.2022 को जारी की गई बैंक गारंटी ₹ शून्य लाख है

III. साख पत्र और आराम पत्र

31.03.2022 को बकाया साख पत्र ₹ शून्य है और आराम पत्र ₹ शून्य है।

ख. प्रतिबद्धताएं

पूजी खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इनके लिए प्रदान नहीं किया गया: ₹ शून्य।
अन्य प्रतिबद्धताएं: ₹ शून्य।

2. अपिफुल पूंजी

	31.03.2022	31.03.2021
₹ 10/- प्रत्येक के 20,00,000 इन्विटी शेयर	20000.00	20000.00

3. संश्लेषित पार्टी की जानकारी

भूतपूर्व कर्मचारी स्वतः निधि एवं अन्य

(क) विधास

1) कोल इंडिया कर्मचारी सेव्युटी फंड

2) कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड (CMPF)

3) कोल इंडिया सुपरनेशन बेंलिफिट फंड ट्रस्ट

4) और कर्मचारियों के लिए अंतरदायी पोस्ट रोजानिपूति विधिल्लत योजना संश्लेषित

5) सीआईएल कर्मचारी परिभाषित अंतरदान पेंशन ट्रस्ट

(ख) समाज

(क) भारतीय कोयल प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम) - (पंजीकृत सोसायटी)

(ख) कोल इंडिया स्पोर्ट्स प्रमोशन एसोसिएशन (सीआईएसपीए) - (पंजीकृत सोसायटी)

(iii) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिक

नाम	पदनाम	से प्रभावी
श्री पी.के. सिन्हा	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	01.11.2020-31.12.2021
श्री ओ. पी. सिंह	निदेशक (तकनीकी-संचालन)	01.09.2016
श्री के. आर. वास्तुदेवन	निदेशक (वित्त)	04.02.2018
श्री ब्रजल सिंह	निदेशक (तकनीकी-पी एंड पी)	29.04.2020-30.11.2021
श्री के.शव	निदेशक (कर्मिक)	16.12.2019
श्री ए. के. सिंह	कंपनी सचिव	19.11.2012-15.11.2021
श्री एस के बेहरा	कंपनी सचिव	15.11.2021
श्री एस धन सितादी	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	23.12.2019
श्री नामराज मदीराला	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	17.03.2020
श्री एस.सोहन	स्वतंत्र निदेशक	10.07.2019
डॉ आशा शक्का	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021

(iv) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का वारिभूमिक

(₹ लाख में)

क्र.सं	विवरण	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	सौरमंडी, पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को भुगतान		
	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ		
	सकल वेतन	1.19	1.51
	प्रिविलेजियेड लाभ	0.01	0.09
	अनुलाभ और अन्य लाभ	0.61	1.36
ii)	रोजगार के बाह्य के लाभ		
	पीएफ में योगदान और अन्य फंड	0.13	0
iii)	समाप्ति लाभ		
	कुल	1.94	2.96

टिप्पणी :

(i) उपरोक्त के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम स्यूटो के कार्यालय जापान के प्रावधानों के अनुसार रियायती दर के भुगतान पर 750 किस्कोमीटर की सीमा तक निजी यात्रा के लिए कर्तव्य के उपयोग की अनुमति दी गई है। संख्या 2118/पीसी-64 दिनांक 20.11.1964 समय-समय पर यथा संशोधित।

(v) स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान

(₹ लाख में)

क्र.सं	विवरण	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान		
	बैठक शुल्क	0.02	0.25

(vi) 31-03-2022 की स्थिति के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के पास बचकावा राशि

(₹ लाख में)

क्र.सं	विवरण	31-03-2022	31-03-2021
i)	विपरण	शून्य	शून्य
ii)	देय राशि	शून्य	शून्य
iii)	प्राप्त राशि	शून्य	शून्य

(क)

कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां देय नहीं हैं। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्ति क्रमशः फर्मों या निजी कंपनियों से देय है जिसमें कोई ब. समूह के भीतर संबंधित पार्टी शामिल है।

कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनियों के साथ लेन-देन किया है जिसमें शीर्ष शुल्क, पुनर्वास शुल्क, पट्टा किराया, सहायक कंपनियों द्वारा रजिस्ट्रार को भुगतान और प्राप्त के माध्यम से अन्य सहायक कंपनियों द्वारा भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुसार, महत्वपूर्ण लेनदेन की प्रकृति और राशि के संबंध में निम्नलिखित खुलासे हैं:

वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22

१) सहायक कंपनियों
31-03-2022 को बकाया शेष और उसके बाद समाप्त अवधि के लिए लेनदेन

(₹ लाख में)

संबंधित पार्टियों का नाम	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	प्रदत्त लाभ/हानि	संपत्ति की विधि	अनुबंधों द्वारा रबी गई नियतों पर ब्याज	अन्य	यात्रा व्यय शेष (देना/प्राप्तियां)	"बकाया रकम (देना/प्राप्तियां"
इस्टर्न कोलकोल्डस लिमिटेड								
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड								
सेरत कोलफील्डस लिमिटेड								
वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड								
साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड								
नॉर्थर्न कोलफील्डस लिमिटेड								
सीएमपीडीआईएस								
कोल इंडिया लिमिटेड								
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड								
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड								
एमएनएच शक्ति लिमिटेड								
महानदी कोलफील्डस लिमिटेड								
कुल								
परमसीएस से परमसीआरएस को संपत्ति की विधि और एमसीएस में शेरर में कमी जैसे लेनदेन को यहां अलग से दिखाया जाएगा।								

31-03-2021 को बकाया शेष और उसके बाद समाप्त अवधि के लिए लेनदेन

(₹ लाख में)

संबंधित पार्टियों का नाम	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	प्रदत्त लाभ/हानि	संपत्ति की विधि	अनुबंधों द्वारा रबी गई नियतों पर ब्याज	अन्य	यात्रा व्यय शेष (देना/प्राप्तियां)	"बकाया रकम (देना/प्राप्तियां"
इस्टर्न कोलकोल्डस लिमिटेड								
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड								
सेरत कोलफील्डस लिमिटेड								
वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड								
साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड								
नॉर्थर्न कोलफील्डस लिमिटेड								
सीएमपीडीआईएस								
कोल इंडिया लिमिटेड								
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड								
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड								
एमएनएच शक्ति लिमिटेड								
महानदी कोलफील्डस लिमिटेड								
कुल								

ग. एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाएं:

कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है जो केंद्र सरकार द्वारा अधिकांश शेरर धारण करके नियंत्रित होती है (नोट-16 देखें)। एक सरकारी इकाई होने के नाते कंपनी को संबंधित पार्टियों से लेनदेन के संबंध में सामान्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं से छूट दी गई है और नियंत्रक सरकार और एक ही सरकार के तहत अन्य इकाई के साथ बकाया शेष राशि है। निम्नलिखित लेनदेन एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाओं के साथ आमने-सामने की कीमत पर दर्ज किए गए हैं।

4. विविध जानकारी

(क) महत्वपूर्ण लेखा नीति

(ख) कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत कोर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीएस) द्वारा अधिष्ठीत भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखा "लेखा नीति में बदलाव" विधायक विवरणों के उपयोगकर्ताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए, महत्वपूर्ण लेखा नीति को बंड 2.11 अमूर्त संपत्ति और 2.17 कर्माचारी लाभ और 2.23.2 अनुमानों और अनुमानों में संशोधित/किए से परिभाषित किया गया है। हालांकि, पूर्णतः परिवर्तन का कोई विधायक प्रभाव नहीं है।

(ग) "हाल की घोषणाएं 24 मार्च, 2021 को, कोर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीएस) ने एक अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में संशोधन किया। संशोधन अनुसूची III के संशोधित डिभिजन 1, II और III और 1 अप्रैल, 2021 से लागू है। कंपनी ने 2021-22 की पहली तिमाही के खातों से अपने विधायक विवरणों में संशोधनों को शामिल किया है।"

(घ) अन्य
L पिछली अवधि/वर्ष के ऑफ़िशियल को जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पुनर्कथित, पुनर्संयुक्त और पुनर्न्यायस्थित किया गया है।
II नोट - 1 और 2 क्रमशः कोर्पोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नोट 3 से 23 31-03-2022 को बॉलेंस शीट का हिस्सा हैं और 24 से 37 उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लागू और हानि विवरण का हिस्सा हैं। नोट - 38 विधायक विवरणों के अतिरिक्त नोटों का प्रतिनिधित्व करता है।

बोर्ड की ओर से संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

ह/-
(एम.आर मिश्रा)
सीएफओ

ह/-
(आर.वी.रिंगे)
सीईओ/निदेशक
डीआईएन- 9507096

ह/-
(के.आर वासुदेवन)
अध्यक्ष
डीआईएन- 7915732

सम तिथि की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
राजेश सराफ एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन:324121E
ह/-
सनदी लेखाकार राजेश सराफ
साझेदार
सदस्यता संख्या:059768

दिनांक : 26.04.2022

स्थान : संबलपुर

5.5 उचित मूल्य मापन

(क) श्रेणी द्वारा वित्तीय साधन

	31-03-2022		31-03-2021	
	एफपीटीपीएस	परिसोपित लागत	एफपीटीपीएस	परिसोपित लागत
वित्तीय संपत्ति				
निवेश :				
Preference Shares				
मुद्रास्वतः बांड				
म्युचुअल फंड/आईसीडी	-	-	-	-
शून्य				0.00
जमा और प्राप्त्य		5,707.73		5,708.68
व्यापार प्रतिभियां*				-
सकट और सकट समकक्ष		2,006.45		1,917.05
अन्य बैंक शेष				-
वित्तीय देयदारियों				
उपभोग				
व्यापार देयदारियां				
सुरक्षा जमा और वसूला राशि		4.97		4.97
सिद्धि देयदारियां				
अन्य देयदारियां		517.57		434.15

* व्यापार प्राप्त्य से घटाया गया कोयला गुणवत्ता मिनलस के लिए मात्र।

** Investment in Equity Shares in Subsidiary are measured at cost which stands at ₹___ Crore as on 31-03-2022 (₹___ Crore 31-03-2021) not included above.

(ख) उचित मूल्य पदानुक्रम

नीचे दी गई तालिका उन वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों का निर्धारण करने में किए गए निर्णयों और अनुमानों को दर्शाती है जो (क) आभयत प्राप्त और उचित मूल्य पर मापा जाता है और (ख) परिसोपित लागत पर मापा जाता है और जिसके लिए वित्तीय उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय अस्तित्वां और देयदारियां

	31-03-2022		31-03-2021	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
एफपीटीपीएस पर वित्तीय संपत्तियां				
निवेश :				
म्युचुअल फंड/आईसीडी	-	0.00	-	0.00

	31-03-2022		31-03-2021	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
परिसोपित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसोपित और देयदारियां जिसके लिए उचित मूल्य 31-03-2022 पर एकट किए गए हैं				
वित्तीय संपत्ति				
निवेश :				
मुद्रास्वतः बांड		0.00		0.00
शून्य		0.00		5708.68
जमा और प्राप्त्य		5,707.73		0
व्यापार प्रतिभियां*				1917.05
सकट और सकट समकक्ष		2,006.45		0
अन्य बैंक शेष				
वित्तीय देयदारियों				
उपभोग				
व्यापार देयदारियां				0
सुरक्षा जमा और वसूला राशि		4.97		4.97
सिद्धि देयदारियां				
अन्य देयदारियां		517.57		434.15

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापा गया वित्तीय साधन शामिल है। इसमें म्युचुअल फंड शामिल है जिसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार बसेजिंग नेट एसेट वैल्यू (एफपीटी) का उपयोग करके किया गया है। वित्तीय साधनों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है, मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो अयसोकोन योग्य बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम करते हैं और इकाई-स्तर 2: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अयसोकोन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण स्तर 3 में शामिल है। यह निवेश, सुरक्षा जमा और स्तर 3 में शामिल अन्य देयदारियों के समूह में है।

(ग) उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों में म्युचुअल फंड में निवेश के संबंध में उपकरणों के उद्धृत बाजार मूल्य (एफपीटी) का उपयोग शामिल है।

(घ) महत्वपूर्ण गैर-अयसोकोन योग्य इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य माप

वर्तमान में महत्वपूर्ण गैर-अयसोकोन योग्य इनपुट का उपयोग करके कोई उचित मूल्य माप नहीं है।

(ङ) परिसोपित लागत पर मापी गई वित्तीय अस्तित्वां और देयदारियों का उचित मूल्य

व्यापार प्राप्त्य राशि, अल्पकालिक जमा, सकट और सकट समकक्ष, व्यापार देय राशि को इनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है। कंपनी का मानना है कि सुरक्षा जमा में एक महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं है। सुरक्षा जमा कंपनी के घटती के घटती के साथ मेल खाता है और अनुबंध के लिए पिन के प्रावधान के अंतर्गत अन्य कारणों से राशि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण अनुमान: वित्तीय साधनों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है, मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। कंपनी अपने निर्णय का उपयोग एक विधि का चयन करने के लिए करता है।

6 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयदारियों में व्यापार और अन्य देयदारियां शामिल हैं। इन वित्तीय देयदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संभारण को वित्तपोषित करना और इसके संचालन का समर्थन करने के लिए शर्तों प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयदारियों का प्रबंधन जोखिम, शून्य जोखिम और सकट जोखिम के संकेत में है। कंपनी के वित्तीय प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करता है। कंपनी के वित्तीय प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा नगरित किया जाता है जो अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के वफादारी और जोखिमों के जोखिमों की व्याख्या करता है जिससे प्रतिस्पर्धा को अग्रगत करता जाता है कि संभव वित्तीय विचारों में जोखिम का प्रबंधन कैसे करती है।

जोखिम	से उत्पन्न होने वाले संभावित	माप	प्रबंधन
शून्य जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्त्य वित्तीय परिसोपित को	काल प्रभावित जोखिम / क्रेडिट रेटिंग	सर्वजनिक उपकरण विभाग (टीपीई डिफॉल्ट), बैंक उ
नकट जोखिम	उपभोग और अन्य देयदारियां	आवधिक नकट प्रभाव	प्रतिबद्ध क्रेडिट राशियों और उपभोग लेने की सुविधाओं
बाजार जोखिम-वित्तीय मुद्रा	भविष्य के भागिदारीक संकेत, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसोपित/संयोजी प्रभाव पूर्ण/मुद्रा संवेदनशीलता जोखिम	नकट प्रभाव पूर्ण/मुद्रा संवेदनशीलता जोखिम	वित्तीय प्रबंधन और सेवा परिसर समिति द्वारा वित्तीय
बाजार जोखिम-व्याज दर	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और म्युचुअल फंड	नकट प्रभाव पूर्ण/मुद्रा संवेदनशीलता जोखिम	सर्वजनिक उपकरण विभाग (टीपीई डिफॉल्ट), वित्तीय

कंपनी जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। कोई समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ अतिरिक्त सरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियों के लिए लिखित दिशानिर्देश प्रदान करता है।

क. शून्य जोखिम:

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन:

प्राप्तियों मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से उत्पन्न होती हैं। कोयले की बिक्री को गैर-तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) और ई-नीलागी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ईंधन - आर्थिक जागरण (जैसे नियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) और ई-नीलागी वाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है

ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए)

नई कोयला वितरण नीति (एनटीसीपी) की शर्तों के अनुसार और उसके अनुसार, कंपनी कोयले के साथ या राज्य समित्त राजियों के साथ काल्पनिक रूप से लागू करने योग्य एफएसए में प्रवेश करती है जो वदने में अंतिम चरणों के साथ उचित विवरण व्यवस्था

राज्य विजली उपयोजिताओं, सिंगी विजली सहित विजली उपयोजिताओं के क्षेत्र में चाहकों के साथ एफएसए

उपयोजिताओं (पीपीपी) और स्वतंत्र विजली उत्पादक ("आईपीपी");

गैर-विपुल उपयोजिताओं में चाहकों के साथ एफएसए (किट्टिय पावर प्लांट्स ("सीपीपी") सहित); तथा

राज्य द्वारा समित्त राजियों के साथ एफएसए।

ई-नीलागी योजना

कोयले की ई-नीलागी योजना उन चाहकों के लिए कोयले तक पहुंच प्रदान करने के लिए शुरू की गई है जो विभिन्न कारणों से एनटीसीपी के तहत उपलब्ध संभावित तंत्र के माध्यम से अपनी कोयले की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं, उदाहरण के लिए क्रेडिट जोखिम तंत्र उत्पन्न होता है जब एक प्रतिस्थापक संविधानिक दायित्वों पर चुक करता है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है।

प्रभावित शून्य समित्त राजियों के लिए प्रावधान: कंपनी अतिरिक्त वित्तपोषित शून्य समित्त राजियों (सरकारी/राज्य) द्वारा संचिध/शून्य बाधित अस्तित्वां के लिए अपेक्षित शून्य जोखिम समिति प्रदान करती है। संदर्भ नोट - 13, व्यापार प्रातियां

वित्तीय अस्तित्वां की बिक्री के लिए महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

उपर्युक्त शून्य अस्तित्वां के लिए समित्त राजियों के लिए समित्त राजियों के बिक्री के बार् में धारणाओं पर आधारित है। कंपनी इन अनुमानों को बनाते और कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक

8 अन्य सूचना

(क) प्रावधानों 31.03.2022 को वित्तीय वर्ष से सम्बंधित कर्मचारी स्वयं से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर भारतीय सेवा कानून-37 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों की विधि और संघटन नीचे दिया गया है:

(₹ लाख में)

	01-04-2021 के अनुसार प्रारंभिक शेष राशि	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान धारण तिथि/पिछान/भुगटान किया गया	31.03.2022 को अंतिम शेष राशि
प्रावधानों				
दिये गये 3: संचय, संचय और उपकरण:				
संचय की हानि:				-
दिये गये 4: पूंजीगत व्यय पंजीय पर:				-
संशोधन/संशोधन के विवरण:				-
दिये गये 5: अल्पकाल और मूल्यवर्धन संचय:				-
प्रावधान और हानि:				-
दिये गये 8: ऋण:				-
अन्य ऋण:				-
दिये गये 9: अन्य वित्तीय अंतरियां:				-
अन्य जमा और प्राप्ति:				-
उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा				-
सहायक कर्मियों के साथ धारण				-
द्वारे और प्राप्ति:				-
दिये गये 11: अन्य धारण परिवर्तियां:				-
राजस्व के लिए अंतरियां:				-
संवर्धन देय राशि का अंतिम भुगतान:				-
कर्मियों को अन्य अंतरियां और जमा				-
दिये गये 13: व्यापार धारियां:				-
असौख्य एवं संशोधन ऋणों के लिए धारण:				-
दिये गये 21: गैर-धारण और धारण प्रावधान:				-
अनुसंधान				-
प्रदान से संबंधित भुगतान				-
अन्य कर्मचारी स्वयं				-
राष्ट्रीय सेवाय मजदूरी समझौते का प्रावधान X				-
कर्मचारी देय संशोधन का प्रावधान				-
साइट का जीर्णोद्धार/खान खेदी				-

(ख) प्रति शोध आय

क्र.सं.	विवरण	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए
0	इंजीनियरी शोध परियोजनाओं के कारण कर प्रभाव मुक्त लाभ ₹ लाख में	9,04,96,621	-43,78
1	व्यापार कृषि/शोध क्षेत्रों की भांति औसत संख्या	66,18,363	66,18,363
2	वर्ष में प्रति शोध मूल्य और मंदिर आय (अंतिम मूल्य ₹10/- प्रति शोध)	13,67,35,656	-66,14,92,879

(ग) पट्टा

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	पट्टेदार नाम	का पट्टे पर दी गई संयोजिता	अनुबंध अवधि	पैग/प्रति वर्ष लीज रेट

(घ) बीमा और वृद्धि के दावे

प्रदेश/अंतरिम निषेधन के आधार पर बीमा और वृद्धि दावों का हिसाब लगाया जाता है।

(च)

खातों में किए गए धारण प्रारंभिक शोध से पहले वाले/अन्य/अध्यापित स्टोर, वायु शोध, अंतरियां, संशोधन ऋणों आदि के विवरण खातों में दिए गए धारण संशोधन मुक्तता को कवर करने के लिए पर्याप्त माने जाते हैं।

(द)

धारण संयोजिता, ऋण और अंतरियां आदि।

(इ)

प्रदान की राशि में अंतर संशोधन और गैर-धारण/निवेश के अंतर। अन्य संयोजिता का व्यवसाय कर में वट्टी कर न्यूनता से कम उतार राशि के बराबर होता है जिस पर यह दर्जित है।

(फ)

धारण देयदा/प्रदान अनुमानित देयता प्रदान की गई है जहां धारण/विवरण देयता को माया नहीं जा सकता है।

(ग)

अंतर-अंतर राजस्व जानकारी: नीचे दी गई तालिका भारतीय सेवाकानून कानून 115, वायु के साथ अनुबंध से राजस्व की आय/धरता के अनुसार वायु की जानकारी के साथ अनुबंध से अंतर-अंतर राजस्व प्रस्तुत करती है:

(₹ लाख में)

	31.03.2022 समाप्त अवधि के लिए	31.03.2021 समाप्त अवधि के लिए
अंतर-अंतर राजस्व जानकारी:		
भारत का सेवा के प्रकार		
- कोयला	-	-
- अन्य	-	-
कोयले और अन्य की विधि से कुल राजस्व	-	-
वायु के प्रकार		
- उच्च क्षेत्र	-	-
- गैर-उच्च क्षेत्र	-	-
- अन्य या सेवाएं	-	-
कोयले और अन्य की विधि से कुल राजस्व	-	-
अनुबंध के प्रकार		
एकतरफ	-	-
द्वि-पक्षी	-	-
अन्य	-	-
कोयले और अन्य की विधि से कुल राजस्व	-	-
भारत का सेवा का समग्र		
- एक समग्र में भारत का हस्तान्तरण	-	-
- समग्र के साथ स्थानांतरित किया गया भारत	-	-
- एक समग्र में स्थानांतरित की गई सेवाएं	-	-
- समग्र के साथ स्थानांतरित की गई सेवाएं	-	-
कोयले और अन्य की विधि से कुल राजस्व	-	-

वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22

(अ) अनुपात

विवरण	31.03.2022 समाप्त अवधि के लिए*	31.03.2021 समाप्त अवधि के लिए*	परिवर्तन
क) वतमान अनुपात: वतमान अनुपात कंपनी की समग्र तरलता स्थिति को इंगित करता है। बैंकों द्वारा आपने ग्राहकों को कार्यशील पूंजी भ्रूण देने के संबंध में निर्णय लेने में इच्छुक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। धातु अनुपात भी गणना धातु परिवर्तनीयों को धातु देनदारियों से विभाजित करके की गई है।	15.16	17.84	-15%
ख) भ्रूण-इंधित अनुपात: भ्रूण-ने-इंधित अनुपात कंपनी के कुल भ्रूण की तुलना शेयरधारकों की इंधित से करता है। इन दोनों नंबरों को कंपनी के वतमान शेयर में पाया जा सकता है। भ्रूण-इंधित अनुपात की गणना शेयरधारकों की इंधित से विभाजित कुल भ्रूण के रूप में की जाती है।	0	0	0
ग) भ्रूण सेवा खोज अनुपात: भ्रूण सेवा खोज अनुपात का उपयोग करने के वतमान व्याज और किराए के भुगतान करने की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। भ्रूण सेवा खोज अनुपात की गणना भ्रूण सेवा द्वारा विभाजित भ्रूण सेवा के लिए उपलब्ध बजट के रूप में की जाती है।			
घ) भ्रूण सेवा के लिए बजट - वर्षों के बाद शुद्ध लाभ + गैर-मकद धरिधारण व्यय जैसे मुख्यदाता और अन्य परिवर्धन + व्याज + अन्य समाधान जैसे अपन संवित्तों की विधि पर मुकदमा आदि। भ्रूण सेवा + व्याज और पट्टा भुगतान + मुख्यधन पुनर्प्राप्ति *वर्ष के बाद शुद्ध लाभ का अर्थ है "अवधि के लिए स्वयं / (हरिण)" की रिपोर्ट की गई राशि और इसमें अन्य व्यापक आय की धातुएं शामिल नहीं हैं।	1.552164819	-2.981718464	-1.520560488
च) इंधित अनुपात पर व्याजी-वह कंपनी में विवेक किए गए इंधित बंध की समग्रता को गणना है। अनुपात से पता चलता है कि कंपनी द्वारा इंधित-धारकों के बंध की समग्रता का उपयोग कैसे किया गया है। यह इंधित-धारकों को उपलब्ध बंधों का प्रतिशत दर्शाता है। अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है: (वर्ष के बाद शुद्ध लाभ कम धारणा समग्रता (एडि कोड) को) और औसत शेयरधारकों की इंधित से विभाजित किया जाता है।	0.001221537	-0.0059131	-1.206581427
छ) इंधित देनदार अनुपात: इस अनुपात को देनदार देनदार अनुपात के रूप में भी जाना जाता है और यह अवधि के दौरान वेपों में वस्तुओं की समता या अवधि के दौरान विधि और अवधि के दौरान आगे निर्धारित औसत सूची के बीच संबंध स्थापित करता है। यह दर्शाता है कि आपके साथ व कंपनी इंधित का उपयोग या धारणा करती है। इंधित देनदार अनुपात की गणना वेपों में वस्तुओं की समता या औसत इंधित से विभाजित विधि के रूप में की जाती है।	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
ज) औसत इंधित (सुधकारी + अंतिम वेप / 2) जब इंधित के उद्घाटन और समाप्त वेप की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना सीओपीएस या विधि को इंधित के वतमान वेप से विभाजित करके की जा सकती है।	#DIV/0!	#DIV/0!	0
झ) व्यापार प्रत्यक्ष कारोबार अनुपात: यह इस दर्शाता को गणना है जिस पर कर्मचारियों का पर्यटन कर रहे हैं। व्यापार प्रतिक्रिया में विधि देनदार और प्रत्यक्ष अंतिम। प्रत्यक्ष कारोबार के इंधित विधि में सबसे इंधित विधि घटा विधि रिटर्न शामिल है। व्यापार प्रतिक्रिया में विधि देनदार और प्रत्यक्ष अंतिम। औसत व्यापार देनदार (सुधकारी + समाप्त वेप / 2) जब व्यापार देनदारों की इंधित विधि, उद्घाटन और समाप्त वेप के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो अनुपात की गणना कुल विधि वेप व्यापार प्रतिक्रिया के वेप वेप को विभाजित करके की जा सकती है।	#DIV/0!	#DIV/0!	0
ड) व्यापार देव देनदार अनुपात: यह इंगित करता है कि एक अवधि के दौरान विधि देनदारों को किराये कर भुगतान किया गया है। इसके गणना विधि देनदारों को भुगतान करने के लिए मजबूती को उपलब्धताओं का न्याय करने के लिए की जाती है। इसकी गणना औसत देनदारों द्वारा शुद्ध इंधित करीब को विभाजित करके की जाती है। व्यापार देव देनदार अनुपात = शुद्ध इंधित करीब / औसत व्यापार देव शुद्ध इंधित करीब में सबसे इंधित करीब मजदूर करीब रिटर्न शामिल है। शुद्ध इंधित करीब, व्यापार देनदारों के उद्घाटन और समाप्त वेप के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना कुल करीब को व्यापार देनदारों के समतल वेप से विभाजित करके की जाती है।	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
ण) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात: यह अपने कार्यशील पूंजी का उपयोग करने में कंपनी की पर्याप्तता को इंगित करता है। कार्यशील पूंजी कारोबार अनुपात की गणना निम्नानुसार की जाती है: शुद्ध विधि अर्थात् अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी की औसत राशि से विभाजित होती है। शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात = शुद्ध विधि / कार्यशील पूंजी कार्यशील पूंजी की गणना धातु परिवर्तनीयों को घटाकर वतमान देनदारियों के रूप में की जाती है।			0%

- (j) इस अवधि के दौरान, कंपनी ने सीओपीएस और एनएससीआईएस से ₹ ____ करोड़ की राशि का कोषण करीब है। करीब देव कोषण की विधि सहाय परियोजना शुरू और निष्कर्षी सुविधा शुरू करीब ₹ ____ करोड़ की राशि है। करीब देव कोषण का शेष प्रदान में सीओपीएस का प्रभाव
- (k) सीओपीएस शीट में अपनी 43 वीं वित्त वर्ष 2021 में शीट प्रदान की 24 वीं से ₹ 10 से ₹ 20 प्रति टन उत्पादन के संशोधन के लिए अनुमोदित किया है। 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए उशी का प्रभाव ₹ ____ करोड़ है।
- (l) कंपनी ने अधिपक्षित भूमि की समता के साथ पूंजीकरण करके गैर-गैर के बटले वित्तियों के रूप में मुआवजों के संबंध में लेखांकन नीति को संशोधित किया है। तदनुसार, ₹ ____ करोड़ का पूंजीकरण किया गया है और इस अवधि के दौरान उशी पर धरिधंधन कोस स्कोर उकस व और गोवाकरसद वेस्ट (वेस्ट) जो पहले एनजेएसजे कोस सिमिड को आवंटित किया गया था, एनजेएसजे की एक सहायक कंपनी अथ एनजेएसजे को आवंटित कर दी गई है। नासित प्राधिकारी, एनजेएसजे के मध्यम से विधुन अर्थी
- (m) कंपनी ने भारतीय पर किए गए प्राथमिक व्यय को बटले वित्तियों में शामिल किया है।
- (n) ₹ 200 का शुद्ध लाभ (विशिष्ट उद्देश्य के लिए) रिटर्न-15 रूप रिटर्न-9 के तहत दिखाए गए न्यूनतरण, विभिन्न सहायक के निर्देश के अनुसार धोजी जारी करने के लिए बनाया जाता है।
- (o) क्षेत्र में, __ओपन बरस्ट बदलने और __भूमिगत बदलने हैं, जिनमें से __ओपन बरस्ट बदलने और __भूमिगत बदलने अनुपात हैं और __ओपन बरस्ट बदलने और __भूमिगत बदलने विकास के अपेक्षा हैं:-

ह/-
(एम.आर मिशा)
सीएफओ

ह/-
(आर.वी.रिंगे)
सीईओ/निदेशक
डीआईएन- 9507096

ह/-
(के.आर वासुदेवन)
अध्यक्ष
डीआईएन- 7915732

सम तिथि की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
राजेश सराफ एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन:324121E
ह/-
सनदी लेखाकार राजेश सराफ
साइदारा
सदस्यता संख्या:059768

दिनांक : 26.04.2022
स्थान : संबलपुर